



मासिक
शिविरा
पत्रिका

वर्ष : 58 | अंक : 11 व 12 | मई-जून, 2018 | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹ 15





वासुदेव देवनानी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा
एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

“हमारे प्रिय विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए योजना बना रहे होंगे, कुछ विद्यालयी शिक्षा से महाविद्यालयी शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे। इनके भविष्य की योजना निर्माण में आप गुरुजनों का परामर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः आप इन्हें अपने बच्चों की तरह, एक कुशल 'कॅरियर काउन्सलर' की तरह परामर्श दें, ताकि ये विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए सही निर्णय ले सकें।”

नवीन सत्र : अपनी भागीदारी

स भी जन प्रतिनिधियों, अभिभावकों, भामाशाहों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा जगत से जुड़े साथियों को नवीन शिक्षासत्र 2018-19 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमारे प्रिय विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए योजना बना रहे होंगे, कुछ विद्यालयी शिक्षा से महाविद्यालयी शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे होंगे। इनके भविष्य की योजना निर्माण में आप गुरुजनों का परामर्श अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः आप इन्हें अपने बच्चों की तरह, एक कुशल 'कॅरियर काउन्सलर' की तरह परामर्श दें, ताकि ये विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए सही निर्णय ले सकें।

26 अप्रैल से 9 मई तथा 19 जून से 3 जुलाई 2018 तक 'प्रवेशोत्सव' मनाया जाना है। मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रवेशोत्सव को 'जन उत्सव' के रूप में मनाया जाए जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थियों एवं वर्तमान विद्यार्थियों की टीम मिलकर राजकीय विद्यालयों के प्रति सुरुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकें। यही टीम भावना प्रवेशोत्सव को महत्त्वपूर्ण बना देगी एवं अपने नामांकन अभिवृद्धि के लक्ष्य को हासिल करेगी।

ऐसा वातावरण निर्माण करें कि सभी छात्र ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करें। यह आप द्वारा प्रेरणा के माध्यम से संभव है, सभी बच्चे रचनात्मक-सृजनात्मक कार्यों में लगे, अभिरूचि शिविरों, खेल प्रशिक्षणों व व्यावसायिक नैपुण्य हेतु होने वाले अनेकानेक आयोजनों में अपनी भागीदारी निभाएँ।

7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जयन्ती है, 15 मई को संत ज्ञानेश्वर जयन्ती है तथा 28 मई को भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक वीर सावरकर की जयन्ती है। इसी प्रकार 16 जून को महाराणा प्रताप की जयन्ती है, 28 जून को भामाशाह और महान् संत कबीर की जयन्ती है। इन सभी महापुरुषों की जयन्तियों को हम 'प्रेरणा दिवस' के रूप में बच्चों के सामने रखें।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें तथा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाकर हम 'स्वस्थ तन, स्वस्थ मन' के संकल्प को चरितार्थ करें।

एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएँ।


(वासुदेव देवनानी)



मासिक शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते - श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 58 | अंक : 11-12 | ज्येष्ठ-आषाढ़ कृ. २०७५ | मई-जून, 2018

प्रधान सम्पादक
नथमल डिंडेल

वरिष्ठ सम्पादक
डॉ. राजकुमार शर्मा

सम्पादक
गोमाराम जीनगर
मुकेश व्यास

सह सम्पादक
सीताराम गोदार

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चेक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011

दूरभाष : 0151-2528875

फैक्स : 0151-2201861

E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
-वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- प्रवेशोत्सव : ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान 5

आलेख

- श्रद्धांजलि : उड़ जाणा हंस अकेला... 6

- स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए योग 7
- डॉ. देवाराम काकड़

- अनूठा महाकवि : कबीर 10
- डॉ. कृष्णा आचार्य

- स्वाधीनता संग्राम का उज्ज्वल नक्षत्र- 13
- वीर सावरकर

संदीप कुमार छलानी

-कि बच्चा स्कूल जा रहा है 44
- ओमप्रकाश सारस्वत

- विद्यालय विकास में सामुदायिक 45
- सहभागिता

सीताराम गोदार

- महाराणा प्रताप (कविता) 12
- महेश कुमार चतुर्वेदी

रघु

- जिला स्तरीय स्कूटी एवं लेपटॉप 47
- वितरण समारोह

जगदीश प्रसाद शर्मा

- मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप एवं 14
- स्कूटी वितरण
- पद्मा टिलवानी

मासिक गीत

- अर्पित यह जीवन 46
- संकलनकर्ता : गोमाराम जीनगर

स्तम्भ

- पाठकों की बात 4

- आदेश-परिपत्र 15-43

- शिविरा पञ्चाङ्ग (मई-जून, 2018) 43

- हमारे भामाशाह 50

- व्यंग्य चित्र-रामबाबू माथुर 9

पुस्तक समीक्षा

- अच्छे दिन तंज के 48-49

- व्यंग्यकार : यश गोयल
- समीक्षक : मनोज प्रकाश वाष्णोय

- समाजद्रष्टा साहित्यकार : रत्नकुमार सांभरिया

सम्पादन : डॉ. राकेश रामपुरिया

समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

- दादीमा री लाडली

लेखक : मदन गोपाल लड़ा

समीक्षक : डॉ. शिवराज भारतीय

मुस्त्य आवरण :

नारायणदास जीनगर, बीकानेर।

मो. 9414142641



पाठकों की बात

- माह अप्रैल 2018 अंक में आवरण पृष्ठ पर अंकित 'जल है तो जीवन है' ने जल के महत्त्व पर हम सब को विचार करने एवं शिक्षा जगत को इसके संरक्षण में सम्पूर्ण समाज के लिए प्रेरक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। 'दिशाकल्प: मेरा पृष्ठ' में श्रीमान निदेशक महोदय ने समस्त शिक्षक समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि छात्र-छात्राओं में उपलब्ध नैसर्गिक प्रतिभा का विकास हो। इसके लिए हमारी पाठ्यपुस्तकों को विषय की समग्र विवेचना के साथ इतना प्रभावी बनाया गया है कि विद्यार्थी को किसी अन्य 'शॉर्टकट' की गरज से पासबुक इत्यादि वैकल्पिक साधनों का आदी न बनाया जाय। अंक में दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश' के विश्व पुस्तक दिवस पर प्रकाशित आलेख 'बच्चे और किताबों की दुनिया' के माध्यम से विद्यालयों में पुस्तकालयों की दयनीय हालात पर चिन्ता जाहिर की है तथा हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि किस तरह से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ने के चक्कर में हम बच्चों को किताबों की दुनिया से दूर कर रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य लेख तथा स्तम्भ भी शिक्षा जगत के लिए उपयोगी बन पड़े हैं, अतः शिविरा टीम को साधुवाद।

सरोज कुंडेली, राजसमन्द

- बोर्ड परीक्षा की समाप्ति पश्चात् अप्रैल 2018 का अंक पढ़ा जिसमें माननीय मंत्री महोदय एवं श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा माह अप्रैल के महत्त्वपूर्ण दिवसों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया तथा समस्त शिक्षा जगत को नवीन सत्र हेतु ऊर्जा के साथ जुटने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई। अंक में प्रकाशित आलेख आधुनिक 'भारत के निर्माता : महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर', 'बच्चे और किताबों की दुनिया', 'कक्षा 11 हेतु परीक्षा की दृष्टि से अंग्रेजी विषय' पर प्रकाशित सामग्री एवं राज्य की प्रथम ATL लेब के शुभारम्भ पर प्रकाशित रिपोर्ट ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित आलेख ने चिन्तन के लिए मजबूर किया। मोहन गुप्ता 'मितवा' की 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय: राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश तृतीय पायदान' रिपोर्ट पढ़कर मन गौरवान्वित हुआ तथा साथ ही राज्य स्तर पर बीकानेर के

एकमात्र तथा मेरे गाँव के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय ऊपनी का चयन होने पर मन गद्गद हो गया। भागीरथ राम, प्रधानाचार्या की रपट गुरुवंदन एवं पूर्व विद्यार्थी संगम 'अभिभूत हुए स्कूल के साथी सखा' पढ़कर शैक्षिक नवाचार पर मन हर्षित हुआ। स्थाई स्तम्भ हमेशा की तरह ही इस बार भी ज्ञानवर्द्धक रहे। समस्त शिविरा टीम का आभार।

विकास चन्द्र 'भारू', बीकानेर

- 'शिविरा' पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूँ। मुझे पत्रिका नियमित रूप से मिल रही है। अब इसका कवर, स्याही, पन्ने, पहले के मुकाबले अच्छी हालात में मिल रहे हैं। इसमें लेख भी पहले से ज्यादा अच्छे हैं। जिसको पढ़ने का मन बार-बार करता है। इस बार भी 'अपनों से अपनी बात', 'दिशाकल्प' में प्रकाशित मंत्री जी और निदेशक जी के पूरे संवाद को पढ़कर हर्ष का अनुभव होता है। विजय सिंह माली के लेख से महात्मा फुले और डॉ. अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सी जानकारी मिली, विनोद कुमार के 'भक्तिकाल के नीति नक्षत्र-सूरदास', दिनेश प्रताप सिंह 'चित्रेश' के 'बच्चे और किताबों की दुनिया' से बहुत सी जानकारी मिली, इसके साथ हर माह मासिक गीत पढ़ने को मिलता है। इसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि 'एक प्रार्थना' जो स्कूल में गाई जाती है। हर माह एक 'प्रार्थना' शिविरा में छपे तो अति उत्तम होगा। अतः सम्पादक मंडल को साधुवाद।

लक्ष्मण डाभी, बाड़मेर

- 'शिविरा' माह अप्रैल 2018 का अंक मिला। श्री रमेश चन्द्र दाधीच का English Class XI Examination-2018 (Narration) बहुत ही उपयोगी लगा, विनोद कुमार भार्गव द्वारा सूरदास जी के नीति विषयक विचारों का उल्लेख करते हुए जीवन की असारता के सम्बन्ध में नीति विचार, भोग के सम्बन्ध में नीति विचार, आचरण सम्बन्धी नीति विचार, लोक व्यवहार के सम्बन्ध में नीति विचार आदि के अलावा लीला वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन और शृंगार वर्णन पर भी अधिक चर्चा हुई है। महापुरुषों की जीवनियाँ ज्ञानवर्द्धक लगी। 'शिविरा' पत्रिका के सभी आलेख अत्यन्त प्रेरणादायी लगे। संपादक मंडल को साधुवाद। अन्त में मेरा एक निवेदन है कि पत्रिका में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित पाठकों के प्रश्नों के उत्तर भी प्रकाशित करना उचित रहेगा।

किरण व्यास, जैसलमेर

▼ चिन्तन

चन्द्रनं शीतलं लोके

चन्द्रनादपि चन्द्रमाः।

चन्द्रचन्द्रनयोर्मध्ये

शीतला साधुसंगतिः॥

अर्थात्- संसार में चन्द्रन को शीतल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा चन्द्रन से भी शीतल होता है। श्रेष्ठ मनुष्यों की संगति इन दोनों से बढ़कर शीतल (श्रेष्ठ) होती है, अतः व्यक्ति को सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए।



नथमल डिंडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

“मेरी जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों और शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को सही अर्थ में आदर्श और उत्कृष्ट बनाने के हमारे संकल्प में आत्मीय सहयोग प्रदान करें। इस अभियान को ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान मानकर स्वैच्छिक आहुति प्रदान करें।”

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

प्रवेशोत्सव : ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान

ह मारे संविधान में 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा है। इस घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में नामांकन और नामांकन वृद्धि अभियान 'प्रवेशोत्सव' प्रभावी रूप से संचालित हुआ। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मिकों के सहयोग से नामांकन वृद्धि के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। नवीन सत्र 2018-19 के लिए भी सघन अभियान आरम्भ हो गया है। विद्यालय जाने योग्य (6-18 वर्ष) प्रत्येक बालक बालिका राजकीय विद्यालय में प्रवेश लें, इस हेतु प्रवेशोत्सव दो चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण 26 अप्रैल से 09 मई तक और दूसरा चरण 19 जून से 03 जुलाई तक रहेगा।

समस्त PEEO अपने स्वयं के विद्यालय के साथ अपने अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि अभियान की शत प्रतिशत सुनिश्चितता एवं सफलता हेतु प्रभावी समन्वयन और पर्यवेक्षण करें। अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की विशेषताओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें जैसे गत वर्षों में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहे, राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक संकाय में श्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध रहते हैं, वहाँ स्वाभाविक सकारात्मक शैक्षिक वातावरण रहता है जो कि प्रत्येक बालक बालिका के सर्वांगीण विकास में सहायक है, इसकी जानकारी अभिभावकों और स्थानीय लोगों को दें। परिक्षेत्र के विद्यालयों के संस्थाप्रधान, SDMC के सदस्य, पूर्व विद्यार्थी, सरपंच और वार्डपंच स्थानीय नागरिकों के सहयोग से समस्त बालक बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएँ। 'राजकीय विद्यालय-अपना विद्यालय' का भाव जाग्रत करें। जिला शिक्षा अधिकारी एवं उनकी टीम प्रत्येक ब्लॉक का भ्रमण कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम और नामांकन वृद्धि अभियान को ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करें। PEEO के साथ सम्बन्धित क्षेत्र के अनामांकित बालक बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करवाए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास एवं संबलन प्रदान करें।

राज्य सरकार ने विभिन्न राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है। विद्यालयों की क्रमोन्नति से नामांकन में उत्साहजनक वृद्धि अपेक्षित है। मेरी जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों और शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को सही अर्थ में आदर्श और उत्कृष्ट बनाने के हमारे संकल्प में आत्मीय सहयोग प्रदान करें। इस अभियान को ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान मानकर स्वैच्छिक आहुति प्रदान करें।

मंगलकामनाओं के साथ-

(नथमल डिंडेल)

श्रद्धांजलि

उड़ जाएगा हंस अकेला...



द्व. श्री शिवरतन थानवी

शिविरा (मासिक), नया शिक्षक/ टीचर टुडे (त्रैमासिक) पत्रिकाओं को अपने सम्पादकीय नेतृत्व से शिक्षा जगत में गौरव और सम्मान दिलाने वाले श्रद्धेय शिवरतन थानवी, विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल, 2018 रविवार) को इस नश्वर जगत से अपनी अगली यात्रा के लिए महाप्रयाण कर गए। अगले दिन (23 अप्रैल 2018 सोमवार) विश्व पुस्तक दिवस को चिर पुस्तक प्रेमी की पार्थिक देह जोधपुर के सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज को देहदान के रूप में सौंप दी गई। सांसारिक रिश्तेनाते रखने वाले सभी आत्मीयजनों ने (गुरुवार 26 अप्रैल, 2018 अपराह्न 3 से 5 बजे के मध्य) ब्रह्मबाग फलौदी में थानवी जी की इच्छानुसार स्मृति सभा रख कर उठावणा कर दिया। इतिहास में एक अध्याय और जुड़ा...।

निरन्तर आगे की सोच रखने वाले, सीखने, जानने, पढ़ने-पढ़ाने की अलख जगाने वाले सरल, सहज, हँसमुख, संवादप्रिय, सबमें समान रूप से अपनापन लुटाने वाले कला, साहित्य, संगीत, प्रकृतिप्रेमी, संवेदनशील इंसान का जाना एक युग का अवसान है।

शिवरतन जी थानवी ने शैक्षिक पत्रकारिता को नई ऊँचाई प्रदान की। वे परम्परागत विचारों से अलग नई पृष्ठभूमि की तलाश में रहते थे। अध्ययन और अन्वेषण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में था। इन दिनों अस्वस्थ होने के बावजूद भी वे निरन्तर यह जानते रहते थे कि कौनसी पत्रिका में शिक्षा पर कौनसा आलेख किसने लिखा, क्या लिखा। मौलिक विचारों के प्रति उनका सहज प्रोत्साहन रहता था। अनगिनत शिक्षकों, लेखकों, साहित्यकारों ने उनसे रोशनी पाई। उन्होंने जे. कृष्णामूर्ति, इवान इलिच, पावलो फ्रेरे, गिजुभाई, दयाल जी मास्साब, डॉ. छगन मोहता जैसे मनीषियों के विचारों की निरन्तरता में मनुष्य की संवेदना और सृजनशीलता को नये आयाम दिये।

उनकी विशिष्ट कृतियों में 'आज की शिक्षा कल के सवाल', 'कोबायशी की कहानी', 'तोड़ना बाधाओं का (अनुवाद)', 'सामाजिक विवेक की शिक्षा', 'भारत में सुकरात', 'शिक्षा सर्वोपरि' और 'जग दर्शन का मेला' प्रमुख हैं। शिवरतन जी थानवी के विचारों को शिविरा में 'झोला पुस्तकालय' शीर्षक से शृंखला रूप में प्रकाशित किया गया। 'सामाजिक विवेक की शिक्षा', 'भारत में सुकरात' और 'जग दर्शन का मेला (एक शिक्षक की डायरी)' की समीक्षा शिविरा के सुधी पाठकों तक पहुँचाई गई।

'जग दर्शन का मेला' (एक शिक्षक की डायरी) का लोकार्पण विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर हाल ही में हुआ था। अप्रैल 2018 के शिविरा के अंक में 'जगदर्शन का मेला' की समीक्षा का प्रकाशन होना और उनके द्वारा शिविरा को मार्गदर्शन देना शिविरा सम्पादक मण्डल के अनुभव की अमूल्य निधि के रूप में रहेगा।

शिवरतन जी थानवी ने शैक्षिक विचारों पर सही मायने में चर्चा छेड़ी, बहसों करवाई, वे पठन पाठन और स्वाध्याय के हिमायती रहे। शिक्षा को साहित्य से जोड़ कर देखना उनकी विशेषता रही। वे पढ़ते ज्यादा व लिखते कम थे। हिन्दी, राजस्थानी, बांग्ला और गुजराती भाषा के जानकार साहित्य और संगीत के सच्चे प्रेमी को शिविरा परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।

-वरिष्ठ संपादक


विश्व योग दिवस

स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए योग

□ डॉ. देवाराम काकड़

‘यो गश्चित्तवृत्ति निरोधः’ चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है- महर्षि पतंजलि।

योग का प्रादुर्भाव भारत में हजारों वर्ष पहले हुआ। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ई.पू. 900 में योग के विभिन्न पहलुओं को सूचीबद्ध व परिष्कृत ढंग से 196 सूत्रों के रूप में प्रतिपादित किया जो आधुनिक योग पद्धति का आधार बना। योग शब्द संस्कृत के युञ् धातु से बना है, जिसका अर्थ है- जोड़ना, किसी कार्य में अपने तन, मन को संयुक्त लगाना। शरीर व मन के संयोग से जो कार्य पूर्ण किया जाता है, उसे योग कहते हैं। आज योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य संतुलन का महत्त्व पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है। योग के द्वारा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण के महती प्रयोजन को सिद्ध किया जा सकता है बल्कि व्यक्ति के मानसिक विचारों की शुद्धता को भी संतुलित रखा जा सकता है, भारतीय जीवन दर्शन में सादगीपूर्ण जीवन को उत्तम स्वास्थ्य से जोड़कर प्रारम्भ से ही देखा गया है, भारतीय जीवन दर्शन सात्विक आहार - विहार एवं सकारात्मक ऊर्जावान चिंतन के प्रारम्भिक मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है। योग तनावमुक्त उपचार के क्षेत्र में अग्रणी है। यह कोई मत-पंथ या सम्प्रदाय नहीं है, अपितु स्वस्थ जीवन जीने की सम्पूर्ण पद्धति है। प्रत्येक मानव इस पथ पर चल कर, जीवन में पूर्ण सुख, शान्ति व आनंद प्राप्त कर सकता है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अनुसंधान व प्राकृतिक आयुर्विज्ञान के बल पर जीवन जीने की कला ‘योग’ को महा-संपत्ति के रूप में हमें सौंपा। आज योग सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन जीने की कला के रूप में पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अपने देश के मार्गदर्शन से ‘अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के अवसर पर प्रति वर्ष सम्पूर्ण विश्व में करोड़ों लोग योग अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शान्ति



मिलती है। योग न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ही ताकत पहुँचाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं। उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। योग के फायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आज योग विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो योग हमेशा से हमारी प्राचीन धरोहर रहा है। समय के साथ-साथ योग विश्व प्रख्यात तो हुआ ही है साथ ही इसके महत्त्व को जानने के बाद आज योग लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग भी बन गया है।

वर्तमान समय में अप्राकृतिक आहार, अनियमित दिनचर्या एवं दूषित वातावरण से मानव बहुत ज्यादा संख्या में अस्वस्थ या अनेक बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसलिए मानव की प्रथम आवश्यकता सुस्वास्थ्य होनी चाहिए। योग के स्तर पर भिन्न-भिन्न रोगों से बचाव करने के साथ-साथ प्रभावी उपचार भी संभव है। परन्तु ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें इस संबंध में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में लम्बे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। यदि स्कूली विद्यार्थी को बाल्यकाल से ही योग का ज्ञान हो जाए तो उन्हें मानसिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से एक स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी और योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन

जीने की सहज व सरल पद्धति भी है।

संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है- योगवशिष्ठ

योग कठिन प्रयासों के माध्यम से मानव प्रकृति के अनेक भिन्न-भिन्न तत्त्वों के अनुशासन द्वारा इन्द्रिय तथा मन के नियंत्रण करने की प्रणाली है। यह कर्म योग (अनासक्त होकर कर्म करना), भक्ति योग (ईश्वर के प्रति समर्पण), ज्ञान योग (ज्ञानार्जन) और राज योग (मन एवं इन्द्रियों का संयम) के माध्यम से ही संभव है। योग की अनेक पद्धतियाँ विकसित की हैं। आवश्यकता के अनुसार उसमें यथोचित बदलाव लाया जा सकता है। इन पद्धतियों को आम तौर पर चार वर्गों में विभाजित किया जाता है।

योग प्रकार

1. **कर्म योग**-निःस्वार्थ भाव से किए जाने वाले कार्य को कर्म योग कहते हैं। फल के प्रति अनासक्ति का भाव रखते हुए कर्म करना। हमारे द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कार्य कर्मयोग के अन्तर्गत आता है। हमें अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ‘समत्वं योग उच्यते’ अर्थात् कर्म योग से कर्मन्द्रियों एवं ज्ञानन्द्रियों की मलिनता दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है।
2. **भक्ति योग**-भक्ति योग के लिए मूर्ति पूजा, मंत्रोच्चारण, भजन, उपवास, कीर्तन आदि अनेक साधनों के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना करना भक्ति योग कहलाता है। मन के भावों पर नियंत्रण करना ही ईश्वर उपासना का मूलमंत्र है। जिसमें इन्द्रिय भोग आदि समस्त सुखों का त्याग कर सम्पूर्ण कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाते हैं। भक्ति मार्ग इस मानसिक असंतुलन की यथास्थिति को नियंत्रित कर मनुष्य के अन्दर निहित ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए एक वरदान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भक्ति योग

उच्चतर प्रेम का विज्ञान है वह हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगाएँ, कैसे उसे वश में लाएँ, किस प्रकार नए मार्ग में उसे मोड़ दें और उससे श्रेष्ठतम फल अर्थात् जीवनमुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें। भक्ति योग पूर्ण श्रद्धा- भाव के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण करने की पद्धति है।

3. **ज्ञान योग**—ज्ञान का अर्थ है समत्व का दर्शन अर्थात् सभी को समान भाव से देखना। वर्तमान युग ने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से मानव को विचारशील बनाया है। ज्ञान मार्ग बुद्धिजीवियों के लिए उपादेय है। इसलिए वह अविद्या का नाश करते हुए वास्तविक आत्मा को जानने वाले बन जाता है।

4. **राज योग**—हमारी मानसिक सजगता ही जीवनकाल के प्रयासों की सफल कुंजी है। राज योग, योग की वह सीढ़ी है जो मानव जाति को शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करती है। मन पर नियंत्रण चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक माध्यम है। यह महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि) पर आधारित है।

अष्टांग योग

महर्षि पतंजलि ने चेतना की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग साधना के साधन रूप आठ अंगों को अपनी रचना 'योग सूत्र' में वर्णित किया है। जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए आठ अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है।

महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा।

ध्यानसमाधयः अष्टौ—अवंगानि।।

योग दर्शन 02/29

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के आठ अंग हैं। प्रथम पाँच बहिरंग योग के नाम से जाने जाते हैं तथा शेष तीन (धारणा, ध्यान,

समाधि) को अन्तरंग योग कहा जाता है।

1. यम—

पाँच सामाजिक नैतिकता।

काम एवं वासना से स्वयं को दूर रखना। महर्षि पतंजलि ने इनकी पाँच प्रकारों में परिगणना की है।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाःयमाः।।

(योग द. 2/30)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँच यम हैं।

(क) अहिंसा—हिंसा न करना अर्थात् शब्द, विचार और कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना।

(ख) सत्य—विचारों में सत्यता का आचरण करना।

(ग) अस्तेय—चोरी न करना, पराई वस्तु के प्रति चोरी की लालसा न रखना।

(घ) ब्रह्मचर्य— सभी इन्द्रिय—जनित सुखों में संयम रखना अर्थात् मन, वाणी और शरीर से यौनिक सुख प्राप्त न करना या वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है।

(ङ) अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक संचय न करना। संग्रह की भावनाओं को त्यागकर संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर—आराधना करना अपरिग्रह है।

2. नियम—

पाँच व्यक्तिगत नैतिकता।

आधिपत्य जमाने के साधनों को नियम कहते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं—

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।

(योग द. 02/32)

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम हैं।

(क) शौच—बाह्य तथा अभ्यन्तर शुद्धि। जल से शरीर की व सत्याचरण से मन की शुद्धि करना।

(ख) संतोष—अपेक्षाओं से बचना, संतुष्ट व प्रसन्न रहना। अप्राप्त की तृष्णा न रखना ही संतोष है।

(ग) तप—लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी कष्ट, बाधाएँ व प्रतिकूलताएँ आएँ, उनको सहजता से स्वीकार करते हुए सतत् प्रयास

करना।

(घ) स्वाध्याय—आत्मचिंतन के साथ धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर ज्ञान की प्राप्ति करना।

(ङ) ईश्वरप्रणिधान—ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण व श्रद्धा के साथ—साथ माता—पिता, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व भक्ति रखना ईश्वर प्रणिधान है।

3. आसन—

योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण।

स्थिरसुखमासनम्। (योग द. 02/46)

किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। जैसे—पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, शवासन आदि। स्वास्थ्य लाभ के लिए आसन बहुत उपयोगी है। प्रत्येक आसन सहजता के साथ क्षमता अनुसार करना चाहिए। आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनंत अर्थात् परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। शरीर को स्थिर करके बैठ जाने के बाद सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। आसन सिद्ध होने पर सर्दी—गर्मी आदि द्वंद्वों का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

आसन के मुख्य रूप तीन प्रकार के हैं—ध्यानात्मक, विश्रान्तिकर, संवर्धनात्मक।

4. प्राणायाम—

प्राणों का आयाम ही प्राणायाम है।

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगतिर्विच्छेदः

प्राणायामः।

(योग द. 2/49)

प्राणायाम प्राण या श्वास या जीवन शक्ति को नियमित करने तथा उस पर यथाशक्ति नियंत्रण करने का विज्ञान है। प्राणवायु का शरीर में प्रवेश होना यानि श्वास लेना (पूरक), श्वास छोड़ना (रेचक), श्वास को स्थिर रखना (कुम्भक) कहा जाता है। प्राणायाम को पूर्ण करने में पूरक, रेचक और कुम्भक अपना—अपना विशेष स्थान रखते हैं।

प्राणायाम के मुख्य रूप से आठ प्रकार—भेद में भिन्न—भिन्न विधियाँ उल्लिखित हैं—उज्जायी, सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा, प्लावनी प्राणायाम आदि। ये मन की एकाग्रता संपादन करने में अति सहायक होते हैं।

5. प्रत्याहार-

इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाना।
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वस्वरूपानु
कार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।

(योग द. 2/54)

इन्द्रियों के अपने-अपने विषय रूप-रसादि का सन्निकर्ष न होने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप ही इन्द्रियाँ हो जाती हैं। इन्द्रियाँ अपने बाहरी विषयों से हटकर अन्तःमुखी होती हैं उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं।

महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इन्द्रियाँ चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इन्द्रियों को विषयों से हटा कर एकाग्र हुए चित्त के रूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। यम से प्रत्याहार तक बहिरंग योग है। इस के पश्चात धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरंग योग का संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार है:-

6. धारणा-

एकाग्रचित्त होना और अपने मन को वश में करना।

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा।

(योग द. 3/1)

किसी एक स्थान पर एकाग्रचित्त होकर मनन करना धारणा है। मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा-परमात्मा आदि पर केन्द्रित करने को धारणा कहा जाता है और धारणा ध्यान की आधारभूत नींव है।

7. ध्यान-

ईश्वर विषयक चिंतन करते-करते उसी में तल्लीन हो जाना।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्।

(योग द. 3/2)

ध्यान ध्येय रूप परमेश्वर में मन को एकाग्र करने तथा बुद्धि को स्थिर करने का निरंतर सद्दृशप्रवाह है। ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करते हुए, हमारी समस्त वृत्तियों का एक ही स्थान पर केन्द्रित होना और उसी अन्तर्यामी ब्रह्म के शान्तिमय, आनंदमय स्वरूप में तल्लीन हो जाना ध्यान है।

8. समाधि-

आत्मा से जुड़ना।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः।

(योग द. 3/3)

ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। अपना जीव स्वरूप उस आत्म तत्त्व में लीन करना अर्थात् जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का अभाव होता है, इसी प्रकार परमेश्वर के दिव्यमान आलोक में आत्मा के प्रकाशमय होकर अपने शरीर आदि को भी भूले हुए के समान जानकर स्वयं को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप पूर्ण ज्ञान में परिपूर्ण करने को समाधि कहा जाता है।

ध्येय वस्तु पर मन को केन्द्रित करना धारणा, ध्येय वस्तु पर अनुशीलन की क्रिया नियमित हो उसे ध्यान और ध्यान के नियमित अभ्यासरत से विषय अभाव के बाद सम्पूर्ण चैतन्य की अवस्था समाधि है। जब धारणा, ध्यान व समाधि एक साथ पूर्ण अवस्था में होते हैं तो उसे संचय कहा जाता है।

प्राणायाम व आसनों का अभ्यास करने से पूर्व महत्त्वपूर्ण सावधानियाँ -

- योगासन व्यक्ति को शारीरिक एवं बौद्धिक स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। आसनों का अभ्यास करने से पूर्व दिनचर्या भी इसके अनुरूप होनी चाहिए।
- प्रतिदिन प्रातःकाल (ब्रह्म मुहूर्त) में जागरण करें और सर्व प्रथम जल पान करें। (फ्रीज का या अधिक ठंडा जल न पीएँ)।
- जागरण के पश्चात् नित्यकर्म शौचादि से निवृत्त होवें।
- प्रातः काल योगाभ्यास करने से पूर्व अल्पाहार व भोजन न करें।

- भोजन के पश्चात् केवल वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं।
- प्राणायाम व योगाभ्यास प्रतिदिन प्रातःकाल स्वच्छ व शान्त वातावरण में करें। यदि सायं काल में अभ्यास करना चाहते हैं तो भोजन के एक घंटे पूर्व व पाँच घंटे पश्चात करें। योग सूत्र के अनुसार सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का है।
- प्राणायाम व योगाभ्यास शांत मन से करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आदि का त्याग करें और अच्छे विचारों को याद करते हुए जीवन में संकल्प लेवें, जैसे- मैत्री, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, राष्ट्र सेवा, समर्पण, परोपकार आदि।
- योगाभ्यास प्रतिदिन कठोर चट्टान पर दरी या कम्बल बिछा कर ही करें।
- योगाभ्यास करते समय नासिका से श्वास लेवें।
- प्राणायाम व योगाभ्यास प्रतिदिन करने से ही हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा।
- प्राणायाम व योगाभ्यास प्रत्येक विधि के नियमानुसार ध्यानपूर्वक व बिना कष्ट उठाए करें।
- बच्चों को दस वर्ष की आयु तक योगाभ्यास नहीं करना चाहिए।
- भ्रमण करने के बाद बीस मिनट का विश्राम अवश्य करें, उसके पश्चात योगाभ्यास करें।
- रोगावस्था में प्राणायाम व योगाभ्यास किसी योग चिकित्सक के परामर्श से ही करें, अन्यथा न करें।
- रजस्वला व गर्भवती महिला योगाभ्यास न करें।
- प्राणायाम करते समय कमर, गर्दन, पीठ सीधे रखें।
- प्राणायाम का नियमित अभ्यास के साथ धीरे-धीरे क्रमानुसार समय बढ़ाना चाहिए।
- उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी आदि को कुम्भक का अभ्यास नहीं करना चाहिए।

निदेशक

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र
स्वामी केशवानंद राज. कृषि विश्वविद्यालय
परिसर, बीछवाल, बीकानेर
मो. 9529650839



कबीर जयन्ती

अनूठा महाकवि : कबीर

□ डॉ. कृष्णा आचार्य


चौदह सौ पचपन साल गये चन्द्रवार इक ठाठ ठए।
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी तिथिप्रकट भए॥

विक्रम संवत 1455 (1397 ईसवी) की
ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार के दिन कबीर का
जन्म हुआ था।

अंतस्साक्ष्य और 'कबीर चरित्र बोध' के
प्रमाण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कबीर का
आविर्भाव 1398 में हुआ था। आविर्भाव-
काल के समान ही उनका अवसान काल भी
अनिश्चित और रहस्यमय बना हुआ है।
'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास के अनुसार
उनका देहावसान मगहर में 1492 ई. में हुआ,
जो एक जनश्रुति के रूप में प्रचलित है।

तात्पर्य यह है कि कबीर का निधन 1518
ई. (1575 वि.) में हुआ। इस मंतव्य का
समर्थन 'कबीर परिचय' के इस उल्लेख से भी हो
जाता है कि कबीर को 120 वर्ष का पवित्र
जीवन प्राप्त हुआ था अर्थात् वे 1398-1518
ई. तक विद्यमान थे।

प्रसिद्ध है कि कबीर स्वामी रामानंद के
शिष्य थे। 'भक्तमाल' में रामानंद के प्रमुख
शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट
स्थान प्रदान किया गया है। 'जाति जुलाहा नाम
कबीरा' जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि वे जाति-
पांति के कटु आलोचक अपने को जुलाहा जाति
का होना स्वीकार किया है। यह अंतस्साक्ष्य
सर्वथा विश्वसनीय और प्रामाणिक है किंतु
कबीरपंथ में कबीरदास के माता-पिता के विषय
में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं होता।
कारण कि कबीर पंथियों की दृष्टि में कबीरदास
महापुरुष हैं, किंवदंती है कि नीरू जुलाहा और
उसकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान
सत्पुरुष को अपने घर लाकर लालन-पालन
किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित
सत्पुरुष ने युग के शोषण और बंधनों को शिथिल
कर सामाजिक जीवन का एक नया परिच्छेद
उद्घाटित किया। जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि
कबीर की पत्नी का नाम लोई व संतान के रूप में
पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी।



अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास
सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े
स्पष्ट शब्दों में कहा: 'मसि कागद छुयौ नहीं,
कलम गहौ नहीं हाथ' अतः यह बात निर्विवाद है
कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं
किया।

संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर
सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे।
उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर
कुछ भी नहीं लिखा है, न उन्हें पिंगल और
अलंकारों का ज्ञान था तथापि उनमें काव्यानुभूति
इतनी प्रबल और उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के
साथ महाकवि कहलाए। यह भी सच है कि
उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति
आदि गौण है और संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान
है। अलंकारों से सुसज्जित न होते हुए भी उनके
संदेश काव्यमय है। कबीर भावना की अनुभूति
से युक्त, उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का
संवेदनशील संस्पर्शी करने वाले और मर्यादा के
रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है- 'तुम जिन
जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार' पथभ्रष्ट
समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान
लक्ष्य है। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत
निकट है। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे
बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता
है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति या यथार्थ

है। उन्होंने स्पष्ट कहा है:- 'मैं कहता आंखिन
देखी, तू कहता कागद की लेखी' वे जन्म से
विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से
प्रेरित होकर धर्म-सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक
थे और मौलिक कवि थे।

संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है जिसका धर्म
विश्वधर्म है, उसका मूलाधार है-हृदय की
पवित्रता। पवित्रता-सम्मत स्वाभाविक और
सात्विक आचरण से ही धर्म का विराट स्वरूप
बना। वासनाओं, इच्छाओं एवं द्वेषों से रहित
हृदय की निःसीम सीमाओं में विशाल धर्म का
समावेश संभव है और यह सब सद्गुरु की कृपा
से ही संभव है, वही भक्ति और मुक्ति का दाता
तथा ज्ञानचक्षुओं का उद्घाटक है। संत संप्रदाय
ने गुरु को ब्रह्मा से भी महान माना है। स्वयं कबीर
ने कहा है-

**गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय॥**

कबीर का ब्रह्म निराकार है तथा अद्वैत है,
कहते हैं कि मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है-

'दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम-
नाम का मरम है आना' सिर से पैर तक मस्त
मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़,
भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड,
दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से
कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म
से वंदनीय हैं कबीर।' यह सुवाक्य है: हजारी
प्रसाद द्विवेदी का। हिन्दी के पटल पर भक्ति और
कविताई, दोनों स्थानों पर कबीर अद्वितीय हैं,
बेजोड़ है, अनूठे महाकवि है। मशहूर शायर
अली सरदार जाफरी बताते हैं कि कबीर से पहले
हिन्दी भाषा ने कोई बड़ा कवि पैदा नहीं किया।
मलिक मुहम्मद जायसी की जन्म तिथि 1494
ईसवी है और पद्मावत का रचनाकाल 1540
ईसवी में शेरशाह सूरी के युग में हुआ, जबकि
कबीर की मृत्यु 1518 ईसवी में हो चुकी थी।
सूफी संतों के जरिए कबीर के पास कई सौ बरस
की फारसी परंपरा आई, जिनमें रूमी, सादी
अत्तार और हाफिज की रचनाएँ आमतौर पर पढ़ी

जाती थी और कबीर की कविता में उनके प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं।

कबीर एक कवि के रूप में:— यह ठीक है कि कबीर निरक्षर थे, वे शास्त्रज्ञ विद्वान भी नहीं थे, तथापि काव्य रचना के लिए बड़ी-बड़ी उपाधियों की आवश्यकता न पहले होती थी और न अब होती है। कविता करने की शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है। कबीर में वह प्रभूत मात्रा में विद्यमान थी। भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार था इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 'वाणी का डिक्टेटर' कहा है। कबीर की रचनाओं में अभिव्यंजना कौशल एवं अनुभूति की तीव्रता अपने उच्चतम शिखर पर है। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य था— 'लोकहित'। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जिस उपदेशमूलक काव्य की रचना की, लोक कल्याण की भावना प्रमुख थी। वे कहते हैं कि मैंने अपनी साखियों की रचना जीव को भव सागर से पार उतारने के लिए की है—

**हरिजी यहै विचारिया साखी कहौ कबीर।
भौ सागर में जीव है, जो कोई पकड़ै तीर।।**

स्पष्ट है केवल कविता के लिए कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। कोरे चमत्कार प्रदर्शन का उद्देश्य लेकर वे काव्य रचना करने नहीं चले थे। हाँ, इतना अवश्य था कि उनमें विलक्षण काव्य प्रतिभा थी। वे व्यंजना, लक्षणा, वक्रोक्ति, अलंकार, रीति आदि पद्धतियों से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देते थे, उनकी क्षमता इतनी प्रबल थी कि उनके काव्य में अभिव्यंजना के अनेक कलात्मक तत्व अनायास ही उतर आए हैं। उन्होंने तो ज्ञान के चक्षु रूप में साखियाँ कही हैं—

**साखी आखी ज्ञान की, समुद्र देखि मन माहि।
बिनु साखी संसार का, झगरा छूटत नाहिं।।**

कबीर ने कविता के रूप में 'सांचा शब्द' कहा है, वह ताजमहल जैसा प्रयत्न साध्य सौंदर्य न होकर हिमालय की रम्य पर्वत श्रेणियों का सहज सौंदर्य है जो अपनी गरिमा से, भव्यता से एवं मनोहरता से देखने वाले को मुग्ध कर देता है। उनकी वे साखियाँ जो 'विरह को अंग' शीर्षक से संकलित की गई है, वियोग शृंगार की अभिव्यक्ति करती है—

**यह तन जालौ मसि करौ ज्युं धुवां जाई सरगि।
मति वै राम दया करै बरसि बुझावै अगि।।**

यदि प्रिय उसे एक बार मिल जाए तो वह उन्हें नेत्रों की कोठरी में कैद कर लेगी—

**नैननि की करि कोठरी, पुतली पलंग विछाय।
पलकों की चिक डारी कै प्रिय कौ लिया रिझाय।।**

कबीर के काव्य में रस व्यंजना उच्च कोटि की है। शांत रस की व्यंजना की प्रमुखता है। निर्वेद या वैराग्य भाव से युक्त होकर नश्वर संसार के प्रति विरक्ति भाव व्यक्त किया है—

**यह ऐसा संसार है जैसे सेंवल फूल।
दिन दस के त्योंहार कौं झूठे रंगि न भूल।।**

कबीर की उलटबासियों से जो आश्चर्य भाव अभिव्यक्त होता है उससे अद्भुत रस की सृष्टि हुई है—

**समन्दर लागी आग, नदियां जलि कोयला भई।
देखि कबीरा जाग, मंछी रूखां चढ़ि गई।।**

रस योजना का यह भाव देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वे कवि न होकर मात्र उपदेशक थे। अनुभूति को अभिव्यक्त करने में अलंकारों ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है, अलंकार कबीर के लिए साधन मात्र थे, साध्य नहीं।

उपमा— 'पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात'
अन्योक्ति— 'काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी
तेरे ही नाल सरोवर पानी'

सांगरूपक— 'कबीर घोड़ा प्रेम का चेतनि चढ़
असवार। ग्यान खडग गहि काल
सिरि भली मचाई मार।।'

प्रतीक— 'आकासे मुख औंधा कुआं
पाताले पनिहारि। ताका पाणि को
हंसा पीवै विरखा आदि
बिचारि।।'

यहाँ आकाश सहस्राधार चक्र का प्रतीक है, औंधा कुआं ब्रह्मरंध्र का, पाताल-मूलाधार चक्र का, ब्रह्मरंध्र से झरने वाला पानी अमृत का प्रतीक है और हंस जीवनमुक्त आत्मा का प्रतीक है। कबीर ने साखी, सबद और रमैनी की रचना की है। साखियाँ दोहा छंद में है, रमैनी में कुछ चौपाइयों के बाद एक दोहा है, जबकि सबद पद शैली में लिखे गए हैं। कबीर के पद विभिन्न राग-रागिनियों में गाये जा सकते हैं। वे कविता को गेय बनाना चाहते थे। जिससे वह लोगों की जबान पर चढ़ सके और सरलता से कंठस्थ हो जाएँ। इसमें उन्हें पूरी सफलता भी प्राप्त हुई।

भाषा सौंदर्य:—कबीर की भाषा

मुख्यतः ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्रण है जिसमें कहीं-कहीं भोजपुरी, पंजाबी एवं राजस्थानी भाषा के तत्व भी उपलब्ध होते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा है जिसमें विभिन्न बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। डॉ. बिन्दुमाधव मिश्र के अनुसार "कबीर के 'पदों' की भाषा प्रमुखतः ब्रज, 'साखियों' की राजस्थानी तथा खड़ी बोली और 'रमैनी' की भाषा प्रधान रूप से अवधी है।" आचार्य श्यामसुंदर दास का मत है कि 'कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है— खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है।

कबीर की वाणी बहुरंगी है। यहाँ यह भी सत्य है कि कबीर के नाम से बहुतेरी ऐसी रचनाएँ भी पाठकों के सामने पहुँची है, जिन्हें कबीर ने नहीं रचा था, दरअसल ये रचनाएँ कबीर के समकालीन शासकों, लेखकों, संत-महात्माओं की है पर उनमें कबीर की विचारधारा का समुचित संवहन जरूर किया गया है। यही कारण है कि अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले, विभिन्न पंथों के अनुयायियों और तरह-तरह की बोलियाँ बोलने-भाषाएँ जानने वाले रचनाकारों की विविध सामग्री भी कबीर की रचनाओं के रूप में भी मशहूर हो गई है। भाषिक विभिन्नता व विविधता का ये महत्त्वपूर्ण कारण रहा है कि कबीर ने रचनाएँ स्वयं लिखी नहीं है। नित्य प्रति प्रवचन, सत्संग या फिर बातचीत के दौरान कुछ जो बोलते थे, उसे अनेक अनुयायी लिपिबद्ध कर देते थे। विभिन्न खोजों व शोध में कबीर की कुल छह दर्जन के आसपास पुस्तकें मिलती है, निस्संदेह ये सब पुस्तकें तो उनकी नहीं है। कबीर ने अपनी भाषा के विषय में स्वयं कहा है—

**बोली हमरी पूरब की हमकौ लखै न कोय।
हमको तो सोई लखै जो धुर पूरब का होय।।**

वास्तव में कबीर की भाषा को उस काल की ऐसी काव्य भाषा मानना उचित है जो नाथपंथियों की परम्परा से साधु-संतों के बीच चली आ रही थी और जिसमें संतों के व्यापक पर्यटन के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय बोलियों का सम्मिश्रण हो गया था। कबीर की भाषा अकृत्रिम, सीधी-खड़ी एवं सहज भाषा है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है- 'भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है, बन गया तो सीधे-सीधे नहीं तो देरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार-सी नजर आती है।' बाबू श्यामसुंदर दास डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पंडित परशुराम चतुर्वेदी के रूप में कबीर को समर्थ आलोचक प्राप्त हुए, जिन्होंने उनकी कविता के मर्म को उद्घाटित कर उन्हें एक समर्थ कवि सिद्ध किया।

कबीर की प्रासंगिकता

कबीर मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जहाँ भी कहीं प्रगति को रोकने वाली रूढ़ियाँ देखी वहीं उनका डटकर खण्डन किया तथा बाहरी आडम्बरों को बढ़ावा देने वाले सभी धर्मों की खुलकर आलोचना की।

'कांकर-पाथर जोरि के मसजिद लई चुनाय
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय।'
'मोको कहाँ ढूँढ़े बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना मंदिर में ना मसजिद में ना काबे कैलास में।'
'पाहन पूजै हरि मिलैं तौ मैं पूजूं पहार
घर की चाकी कोई न पूजै पीसि खाय संसार।'
'माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर
कर का मन का डारि कै मन का मनका फेर।'

अस्तु! कबीर हिन्दी के महान कवियों में से एक है। उत्तर भारत की हिन्दी भाषी जनता में तुलसी के उपरान्त यदि किसी अन्य कवि का काव्य लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, तो वह कबीर ही है। महान कवियों एवं साहित्यकारों की प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि वे सत्य मानव जीवन के मूलभूत सत्य होते हैं। क्या वाल्मीकि और व्यास कभी अप्रासंगिक हो सकते हैं? भले ही कबीर का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ हो किन्तु उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक है। विज्ञान एवं बौद्धिकता के अतिवाद से पीड़ित एवं अतृप्त मानवता को क्या कबीर का भक्ति संदेश शांति एवं तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता? कबीर हिन्दी के भक्ति युग में इस दृष्टि से सर्वाधिक ग्राह्य व्यक्तित्व है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साहित्य अपनी रसात्मकता, आह्लादकता एवं रमणीयता के कारण कभी अप्रासंगिक नहीं होता। संभवतः साहित्य और अखबार में मोटा अंतर यही है कि समय बीतने के बाद अखबार की खबरें व्यर्थ हो जाती है, पढ़ने के बाद वे अरुचिकर हो जाती है। जबकि साहित्यिक रचनाएँ कभी अप्रासंगिक नहीं होती। हम उन्हें जितनी बार पढ़ते हैं, उतना ही नवीन अर्थ व बोध होता है तथा वे उतनी ही रुचिकर लगती है, इसलिए साहित्य सदैव प्रासंगिक रहता है। वह सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वजनीन है। साहित्यकार देशकाल की सीमा में बंधा नहीं होता इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचना के माध्यम से आनन्दित करता है। कबीर भी एक ऐसे ही सार्वकालिक कवि है जिनकी रचनाएँ सदैव प्रासंगिक रहेगी।

उस्ता बारी, बीकानेर (राज.)

मो: 9461473251

प्रताप जयंती

महाराणा प्रताप

□ महेश कुमार चतुर्वेदी



(1)

भुजा फड़कती थी जिसकी,
और खून में जिसके उबाल था।
दुश्मन से लड़ने को,
वह वीर प्रतापी आतुर था।।

(2)

मुगलों की सेना के आगे,
वह एक अकेला भारी था।
रुण्ड-मुण्ड उड़ा देता था,
वह ऐसा वीर प्रतापी था।।

(3)

मेवाड़ की धरा की रक्षा का,
उसने प्रण ले रखा था।
मर मिट जाए मातृभूमि पर,
ऐसा धुन का पक्का था।।

(4)

जिसकी वीरता के आगे,
सम्राट अकबर भी डरता था।
और नींद में सोए-सोए,
उठ-बैठ वह घबराता था।।

(5)

विपदा में भी हार न मानी,
नाम उसका प्रताप था।
रानी पुत्र अमर के संग,
जंगल-जंगल भटका था।।

(6)

संकट ऐसा आया उन पर,
घास की रोटी सहारा था।
वन-बिलाव ले भागा उसको,
फिर भी नहीं घबराया था।।

(7)

वीर प्रतापी महाराणा का,
बस यही अरमान था।
दे दूँ जान भले ही अपनी,
नहीं गुलामी स्वीकारा था।।

(8)

चढ़-चेतक घोड़े पर वह,
सिंह गर्जना करता था।
रण भूमि में वह अकेला,
सब पर भारी पड़ता था।।

(9)

घायल हुआ चेतक घोड़ा,
संग प्रताप का छोड़ा था।
जिसके गम में वीर प्रताप,
बिलख-बिलख कर रोया था।।

(10)

मर करके भी अमर हुआ,
वह धन्य प्रतापी राणा था।
अमर कर गया नाम इतिहास में,
वह महाराणा प्रताप था।।

देवेन्द्र टॉकिज के पीछे, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ (राज.)-312604, मो. 9460607990

श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी नक्षत्र थे। 'वीर सावरकर' शब्द के स्मरण करते ही अनुपम त्याग, अदम्य साहस, महान वीरता, एक उत्कट देशभक्ति से ओत-प्रोत इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हमारे सामने साकार होकर खुल पड़ते हैं।

महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर ग्राम में 28 मई, 1883 को जन्मे विनायक दामोदर सावरकर ने मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में अपनी माता श्रीमती राधा देवी को खो दिया। 7 वर्ष के अंतराल में ही प्लेग की महामारी ने उनके पिता श्री दामोदर पन्त को भी लील लिया। इस महामारी ने उनके बड़े भाई श्री गणेश सावरकर एवं अनुज नारायण सावरकर को भी आ घेरा। यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी थी जो रोगी के श्वास से फैलती है। वायु के प्रकोप से शरीर ऐंठने लगता है तथा रोगी का शरीर शिथिल होकर जांघों में दर्द के कारण उठना भी मुश्किल होने लगता है। रोगी प्यास से छटपटाता है, किन्तु जल पिलाने पर मृत्यु और भी त्वरित गति से आती है। ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त एक भी सदस्य की भनक भी गाँव वालों को लग जाती तो गाँव के लोग सिपाहियों को बुलाकर उस परिवार को गाँव से बाहर भिजवा देते थे। क्योंकि घर में एक आदमी को प्लेग होते ही देखते ही देखते पूरा घर प्लेग की भेंट चढ़ जाता था। जो लोग आज दूसरों का शव उठाते, वे स्वयं कल उसी रोग से पीड़ित हो एक-दो दिन में काल की भेंट चढ़ जाते। माँ-बाप अपने बच्चों के और बच्चे अपने माँ-बाप का शव उठाए बिना भाग जाते। प्लेग निवारक टोलियों में चलने वाले सिपाहियों को पता लगता कि जिस घर में लाश है, उस घर की शुद्धि करने की बजाय वहाँ घुस कर सामान एवं सम्पत्ति लूट लेते। परिजनों को लातें-घूंसे मारकर, बल-पूर्वक परिजनों से अलग कर, सेग्रेसन शिविरों में डाल दिया जाता, पर प्लेग यहाँ भी पीछा न छोड़ता। इस प्रकार देश में एक और प्लेग की महामारी एवं दूसरी और ब्रिटिश अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति से जनता त्रस्त थी। समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएँ पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसी परिस्थिति में सावरकर ने अपनी भाभी के साथ रहकर, अपने अग्रज एवं अनुज की सेवा-सुश्रुषा

जयन्ती

स्वाधीनता संग्राम का उज्ज्वल नक्षत्र-वीर सावरकर

□ संदीप कुमार छलानी



कर उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलायी। ऐसी महामारी के दौरान, ब्रिटिश शासन की क्रूरता की जब अति हो गयी तो प्रतिशोध स्वरूप, चापेकर बंधुओं ने रेंड और आयस्ट नामक दो ब्रिटिश अधिकारियों का चलती बग्गी पर चढ़कर (जून माह, 1897), गोली मारकर वध कर दिया। परिणामस्वरूप चापेकर बंधुओं को फाँसी तो दी गयी, किन्तु ऐसे भ्रष्ट एवं अत्याचारी सिपाहियों को प्लेग निवारक टोलियों से हटा लिया। प्लेग के रूप में मृत्यु को, अपने द्वार पर से लौटाने वाले सावरकर के लिए, यही चापेकर बन्धु अपने चरम बलिदान के कारण सदा-सर्वदा के लिए प्रेरणा-स्रोत बन गए।

अधिकांश जन तो सावरकर का स्मरण केवल काला पानी की सजा के सन्दर्भ में करते हैं। किन्तु इस तथ्य की जानकारी सामान्य प्रचार नहीं पा सकी, कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले इतने क्रांतिकारियों में से सावरकर बंधुओं को काला पानी की सजा देकर अंडमान भेजने के लिए ब्रिटिश शासन क्यों मजबूर हुआ? उसमें भी विनायक दामोदर सावरकर को विधि एवं प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध जाकर दो आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई गई? इन प्रश्नों का उत्तर पाना अधिक कठिन नहीं, यदि सावरकर के कृतित्व एवं उसके प्रभावों के बारे में विश्लेषण किया जाए, जो शायद उस

समय की ब्रिटिश सरकार ने अवश्य किया होगा।

पाँचवी तक गाँव में अध्ययन करने के उपरांत सावरकर नासिक गए। लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित 'केसरी' पत्र की उन दिनों धूम थी। 'केसरी' में प्रकाशित लेखों को पढ़कर विनायक के मन में राष्ट्रभक्ति की भावनाएँ हिलोरें लेने लगीं। लेखों, सम्पादकीयों व कविताओं को पढ़कर उन्होंने जाना कि भारत को दासता के चंगुल में रखकर, अंग्रेज किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं। वीर सावरकर ने कविताएँ तथा लेख लिखने शुरू कर दिए। उनकी रचनाएँ मराठी समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगीं। 'काल' समाचार पत्र के सम्पादक परांजपे ने अपने पत्र में सावरकर की कुछ रचनाएँ प्रकाशित कीं, जिन्होंने तहलका मचा दिया। वे कई सभाओं एवं मंचों पर जब भाषण एवं कविता-पाठ के लिए उतरते तो, गणमान्य अतिथियों को सहसा विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि एक अल्पायु बालक इतने गंभीर विचार स्वयं उद्भूत कर सकता है।

नासिक में रहते हुए ही उन्होंने मित्र-मेला नामक संस्था की नींव रखी, जो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आगे चलकर, एक महत्त्वपूर्ण संस्था 'अभिनव भारत' की मूल बनी। मित्र-मेला के माध्यम से शिवाजी-उत्सव, लोकमान्य तिलक द्वारा अभिकल्पित गणेश-उत्सव एवं अन्य गतिविधियों द्वारा समाज संगठन एवं जागरण का कार्य करते। मित्र-मेला का सदस्य बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना पड़ता, जिनमें प्रतिदिन व्यायाम एवं प्रति-सप्ताह बौद्धिक कार्यशाला में भाग लेना मुख्य था। इस साप्ताहिक कार्यशाला में किसी न किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक विषय पर चर्चा की जाती। इस प्रकार सावरकर न केवल विद्वान् बल्कि एक अद्भुत संगठनकर्ता भी थे।

सन् 1905 में सावरकर बी.ए. के छात्र थे। उन्होंने एक लेख में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी वस्त्रों

की होली जलाने का कार्यक्रम बनाया। श्रीमान लोकमान्य तिलक स्वयं इस कार्य के लिए आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। ब्रिटिश शासन-काल में देश में ऐसा दुस्साहस करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। इस अभियान को आगे चलकर स्वयं गांधीजी का समर्थन प्राप्त हो गया।

वि. दा. सावरकर की इन गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही ब्रिटिश सरकार गुप्तचरों एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनके बारे में जानकारी जुटाती रहती थी। जो वस्तुतः एक फाईल में सहेजी जाती थीं। जब सावरकर बैरिस्टरी का अध्ययन करने इंग्लैंड गए, तो यह फाईल एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में पहले ही ब्रिटेन भेज दी गयी। इसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ब्रिटिश शासन के लिए खतरा एवं निरंतर निगरानी करने योग्य मानकर वहाँ भी उन पर निगरानी की गुप्त व्यवस्था की थी। यह तथ्य स्वयं सावरकर को तब ज्ञात हुआ, जब वे '1857 का प्रथम स्वातन्त्र्य समर' ग्रन्थ लिखने के उद्देश्य से लंदन में जिस इंडिया हाउस ग्रंथालय से पुस्तकें लेते थे, वहाँ के पुस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें पुस्तक देने से यह कहते हुए मना किया कि, उन्हें उच्च स्तर से ऐसा करने के लिए आदेश मिले हैं। जिसके बारे में खोज-बीन करने पर सावरकर को इसका कारण ज्ञात हुआ। फिर भी सावरकर ने अन्यान्य युक्तियों से सामग्री जुटाकर अपना ग्रन्थ पूरा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशन से पूर्व ही इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि बचाकर, पेरिस भेज दी गयी, जहाँ विभिन्न व्यवधानों को पार कर अंततः 1909 में इसे प्रकाशित कर दिया गया। जिसके कारण अंग्रेज सरकार की बुनियाद हिल गयी। लन्दन पहुँचते ही सावरकर बंधुओं को गिरफ्तार कर राजद्रोही घोषित किया गया एवं मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया।

1 जुलाई, 1909 को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच, 'मोरिया' जलयान में सावरकर को भारत के लिए रवाना किया गया। 8 जुलाई, को जब जलयान मार्सेल बंदरगाह के निकट पहुँचा, तो सावरकर शौच के बहाने से पाखाने में जा घुसे और फुर्ती के साथ पोर्ट-होल तक पहुँचकर समुद्र में छलांग लगा दी। अधिकारियों को जैसे ही उनके समुद्र में कूदने की भनक लगी तो उनके छक्के छूट गए। उन्होंने लहरों को चीरकर तैरते, सावरकर पर गोलियों की बोछार कर दी।

सावरकर तट पर पहुँचने में सफल रहे, किन्तु उन्हें फिर बंदी बना लिया गया। न्यायालय में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं, इसलिए वे अपना बयान देना व्यर्थ समझते हैं। दो भिन्न-भिन्न अभियोग लगाकर ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह फैलाने एवं षडयंत्र रचने के आरोप में उन्हें दो आजीवन कारावास (वह भी पच्चीस-पच्चीस अर्थात् कुल पच्चास वर्ष) का दंड भोगने हेतु काला-पानी की सजा दी गयी। अंदमान में उन्हें अनगिनत यातनाओं से गुजरना पड़ा, जिसमें बैल के कोल्हू में जोतकर तेल पिराने की यातना, एकांतवास, किसी से बातचीत की अनुमति न होना जैसी यातनाएँ शामिल थी। ऐसी परिस्थितियों में भी जेल की कालकोठरी में, काँटों एवं नाखूनों से दीवारों पर पंक्तियाँ लिखकर, उन्हें कंठस्थ कर, मिटाकर, पुनः नयी पंक्तियाँ लिखने एवं कंठस्थ करने का उपक्रम करते हुए, राष्ट्रभक्ति से पूर्ण साहित्य की न केवल रचना की बल्कि उन्हें स्मरण रखा। जिसे 10 वर्ष पश्चात्, भारतीय जनता के दबाव में 2 मई, 1921 ब्रिटिश सरकार द्वारा मुक्त किए जाने पर साहित्य के रूप में सृजित किया। इस प्रकार इस क्रान्तिकारी ने जीवन के अमूल्य वर्ष, देश के लिए मौन साधना करते हुए कारागृह में बिता दिए।

इन प्रसंगों को पढ़-सुनकर उनका कृतित्व मायावी-सा मालूम पड़ता है, किन्तु देश-सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प रखने वाले इस हुतात्मा ने इस सत्य को न केवल जीया बल्कि अपनी जीवटता एवं दृढ़ता से भारतीय जन-मानस को चरम बलिदान के लिए प्रेरित किया।

जेल से आने के पश्चात् भी किसी राजनीतिक दल से न जुड़कर हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में भारत की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् भी अनेक समाज रूढ़ियों को मिटाने के लिए सक्रिय रहे। साथ ही साहित्य सृजन एवं लेखन द्वारा देश को दिशाबोध देते रहे। सच्चे कर्मयोगी जिन्होंने 26 फरवरी, 1966 को संल्लेखना (इच्छा-मृत्यु) द्वारा अपने प्राण त्यागे। वे कहा करते थे "स्वतंत्रता हमें मिली नहीं, स्वतंत्रता को बड़ा से बड़ा बलिदान देकर प्राप्त किया गया है, 'स्वतंत्रता मिली' कहना सर्वथा मिथ्या है।"

सहायक वन संरक्षक (RFS),
रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर
मो - 9252174882

रपट

मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप एवं स्कूटी वितरण

□ पद्मा टिलवानी

स्थानीय वेटरनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में जिला स्तरीय मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप व स्कूटी वितरण (सत्र 2016-17) समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री सिद्धी कुमारी विधायक (बीकानेर पूर्व), अध्यक्ष श्री नथमल डिडेल निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, विशिष्ट अतिथि श्री महावीर सिंह पूनिया उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर मंडल, श्री दयाशंकर अरड़ावतिया जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य शहर अध्यक्ष भाजपा. बीकानेर तथा पद्मा टिलवानी संयोजक जिला स्तरीय लैपटॉप-स्कूटी वितरण समारोह एवं प्रधानाचार्य राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की गरिमामयी उपस्थिति में 17 मेधावी छात्राओं को स्कूटी तथा 51 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री सिद्धी कुमारी विधायक (बीकानेर पूर्व) ने बीकानेर जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को शैक्षिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप स्कूटी एवं लैपटॉप वितरण करते हुए जीवन प्रतिस्पर्धा में सदैव प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री नथमल डिडेल निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज राजकीय विद्यालयों के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ा है एवं शैक्षिक उन्नयन का परिणाम ही है कि आज राजकीय विद्यालयों के छात्र अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित कर रहे हैं।

कार्यक्रम के प्रारंभ में राजकीय महारानी बालिका उ.मा. विद्यालय बीकानेर की छात्राओं द्वारा सरस्वती वन्दना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) द्रय श्री सुनील बोड़ा एवं श्री भूपसिंह तिवारी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में संयोजक पद्मा टिलवानी ने आगन्तुकों का आभार प्रकट किया। गरिमामय कार्यक्रम का संचालन श्री ज्योतिप्रकाश रंगा एवं श्री बुलाकी हर्ष द्वारा किया गया।

प्रधानाचार्य, रा. फोर्ट उ.मा.वि., बीकानेर
मो. 8005966006

आदेश-परिपत्र : मई-जून, 2018

1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु देय वित्तीय सहायता बाबत। (प्रार्थना पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 11/06/2018)
2. समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2018 के आयोजन के सम्बन्ध में।
3. आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों द्वारा आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2018-19 का वार्षिक पंचांग एवं आवश्यक दिशा निर्देश।
4. राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की नीलामी के संबंध में।
5. राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देश।
6. नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश।

1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु देय वित्तीय सहायता बाबत। (प्रार्थना पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 11/06/2018)

● राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान ● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा/माध्य/राशिकप्र/31590/2015-2016 दिनांक: 22.03.2018 ● समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा) ● विषय: राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु देय वित्तीय सहायता बाबत। (प्रार्थना पत्र आमंत्रित की अंतिम तिथि 11/06/2018)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली की योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षा विभाग के अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि जाँचोपरान्त प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सके। 11.06.2018 के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

1. यह योजना विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बच्चे, जो व्यावसायिक शिक्षा यथा इंजीनियरिंग, मेडिसिन एवं मैनेजमेंट, पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा में

अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (अ) 04 वर्षीय अवधि का (08 सेमेस्टर) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम निम्नांकित शाखाओं में: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टैलीकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर विज्ञान, ऑटोमोबाइल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग, आर्कीटेक्चर, टैक्सटाईल्स, मार्निंग, रबर टेक्नोलॉजी, नेवल आर्कीटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मैसी, प्रिन्टिंग, कैमिकल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग, इन्सट्रूमेन्टेशन एवं कंट्रोल तथा एयरॉनॉटिकल इंजीनियरिंग इत्यादि।
 - (आ) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (तीन वर्ष से कम नहीं)
 - (इ) मेडिकल कोर्स- ऐलोपैथी, होमियोपैथी एवं आयुर्वेदिक, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटरनरी साईन्स)
 - (ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम-बी. फार्मा (अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए)।
 - (उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ स्वयं अध्यापक द्वारा की जाकर हस्ताक्षर किए जाने हैं तथा संस्थाप्रधान द्वारा अग्रेषित किया जाना है।
 4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 13 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियाँ स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मद्दवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा। यदि भुगतान की रसीद क्षेत्रीय भाषा में हो तो मूल रसीद के साथ उसके अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें।
 5. सत्र 2015-16 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप में नत्थी करें। यदि भुगतान की रसीद क्षेत्रीय भाषा में हो तो मूल रसीद के साथ उसके अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें।
 6. सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी। यदि एकमुश्त रसीद हो तो संस्था प्रधान से राशि का ब्रेकअप प्रस्तुत करवाना होगा।
 7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। उक्त वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र विद्यार्थी के शैक्षणिक सत्र 2015-16 में अध्ययन के लिए ही स्वीकार्य होंगे। वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 15,000.00 रुपये होगी।
 8. अनुत्तीर्ण हो जाने वाले विद्यार्थी सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे।

- इन्टरनेशनल अवधि के दौरान कोई सहायता देय नहीं होगी।
9. यह सहायता राशि केवल उत्तीर्ण छात्रों को ही देय होगी। ऐसे मामलों में जहाँ कि परिणाम घोषित नहीं हुआ है, सहायता देय नहीं है।
 10. छात्र/छात्रा की अंकतालिका की फोटोस्टेट प्रति संलग्न करें।
 11. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य होगा।
 12. सहायता राशि के पूर्व के वर्षों में जिन्हें स्वीकृत नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
 13. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह सहायता देय नहीं होगी।
 14. भारत सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र के आधार पर पात्रता की जाँच उपरान्त राशि की स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त होने पर ही देय होगी। अतः अनावश्यक पत्र-व्यवहार नहीं किया जावे।
 15. अपूर्ण प्रार्थना-पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं अन्तिम तिथि पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निरस्त हुए प्रार्थना पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी।
 16. प्रार्थना पत्र यथा संभव डाक द्वारा ही प्रेषित किए जावें। केवल विशेष परिस्थितियों में ही दस्ती (by hand) स्वीकार्य होंगे।
 17. आवेदक अध्यापक द्वारा संलग्न प्रपत्र में व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत किया जावे।
 18. आवेदन पत्र उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम से ही प्रेषित करें।

उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक अध्यापकगण इसका लाभ उठा सकें। प्रार्थना पत्रों को संस्थाप्रधान की अनुशांषा सहित दिनांक 11.06.2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि जाँच उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रार्थना पत्र नई दिल्ली भिजवाये जा सके।

संलग्न: निर्धारित प्रार्थना पत्र की प्रति।

उपनिदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

Annexure-I

Application for financial assistance from National foundation for Teacher's Welfare for Professional Education of Children of School Teachers-2015-16

1. Full name and permanent address :
of the applicant (in Block Letters)
2. Date of birth and age of the applicant :
3. Whether the teacher is in service :
4. If answer to (3) above is 'Yes' Please :
give the following particulars in respect
of the post held at present
(d) Designation

- (e) Name of the Institution where :
employed at present
- (f) Whether the institution is a Govt.
Institution/Govt. Aided/Private
Institution
5. Name of the student (In Block Letters):
6. Date of birth and age of the student :
7. Relationship with the Student : Father/Mother
8. (a) Nature of professional course : Medical/Engineering
Management
- (b) Name & duration of course (with :
semesters)
9. Name and address of the college where:
the student is studying/has studied
during 2015-16
10. Date of admission (for 1st year) :
11. Year in which studying during : 1st/2nd/3rd/4th
2015-16
12. (i) Whether any scholarship is receive :
from the Institution. If so specify the
amount.
- (ii) Whether any assistance has :
already been received from N.F.T.W.
for this purpose. If yes, give particulars
- (iii) Aadhar No. of applicant/Teacher :
13. Actual fees paid for the professional :
course (Attach original cash receipts)
14. Amount of financial assistance :
claimed
15. Whether certificate from the college :
where the student is studying is
attached
16. Certificate I (to be furnished by the
applicant)

I certify that to the best of my knowledge and behalf the particulars given above are correct. I fully understand that in event of this being proved otherwise. I shall be liable to such action as the National Foundation or Teacher's Welfare may deem fit to tale in the matter.

Place :

Date :

Signature of the Teacher

17. Certificate It (to be furnished by the Head of the Institution
where the teacher is serving)

Certified that the Particulars furnished by the applicant are correct.

place :

Date :

Signature of Head of the Institution
(with official seal)

(in Hindi/English only)

18. Recommendations of the State Working Committee. i.e.
amount of financial assistance recommended for the year
2015-16.

place :

Date :

Signature of Secretary Treasurer
(with official seal)

(in Hindi/English only)

Name of the Institution

Ref. No.....Date.....

STUDY CERTIFICATE

This is to certify that Sh./kum.....son/daughter of Smt./Shriworking as teacher in

..... is a bonafide student of this Institution and studying in/studied in..... year (1st/2nd/3rd/4th)/..... semester (1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th/8th) during the year 2015-16.

The student is studying/studied in this college as per details given below:-

Name of the Course	Duration of Course (with semesters)	Date of admission (for 1 st year)	Year of course	Whether passed or failed	Remarks

The student has received / not received scholarship from this Institution during the year 2015-16 of Rs.....

(Signature of the Principal)
With official seal

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

वर्ष 2015-16

अध्यापक का विवरण पत्र

1. अध्यापक का नाम एवं स्थाई पता	:	
2. अध्यापक का मोबाइल नम्बर एवं टेलीफोन नम्बर	:	
3. अध्यापक के परिवार का विवरण (जन्म दिनांक सहित)	:	
4. यदि कोई बच्चा विकलांग है तो उसका विवरण मय प्रमाण	:	
5. अध्यापक का बच्चा जिस संस्थान में अध्ययनरत है, उस संस्था का नाम (राजकीय/अराजकीय)	:	
6. क्या अध्यापक अथवा उसकी पत्नी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है? यदि हाँ तो साक्ष्य सहित सूचना प्रस्तुत करें।	:	
7. क्या इस स्कीम के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में कोई सहायता प्राप्त की है? यदि हाँ तो वर्ष इंगित करें	:	
8. अध्यापक के बैंक खाते का विवरण एवं पास बुक की फोटो प्रति।	:	
9. आधार कार्ड संख्या एवं मय फोटो प्रति	:	

हस्ताक्षर अध्यापक
मय पद एवं पदस्थापन स्थान

2. समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2018 के आयोजन के सम्बन्ध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2018-19/15 दिनांक 03.04.2018 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-

प्रथम/द्वितीय ● विषय: समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में प्रवेशोत्सव-2018 के आयोजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत वर्ष राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के उद्देश्य से आयोजित किए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अनुकूल परिणामों के क्रम में इस वर्ष भी दो चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम अग्रांकित विवरणानुसार आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. प्रथम चरण:- दिनांक 26 अप्रैल, 2018 से 09 मई, 2018 तक।
द्वितीय चरण:- दिनांक 19 जून, 2018 से 30 जून, 2018 तक।
2. इस वर्ष राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रवेश प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक कारगर एवं प्रभावी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा-5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए (नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए) अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत् कक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाना है।

क्र. सं.	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत् कक्षा संचालन करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1.	कक्षा-5	कक्षा-6	16 अप्रैल-2018
2.	कक्षा-8	कक्षा-9	27 मार्च-2018
3.	कक्षा-10	कक्षा-11	28 मार्च-2018

3. उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया माह मार्च के द्वितीय पखवाड़े में प्रारम्भ हो चुकी है। तत्पश्चात् प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्थानीय परीक्षाओं की समाप्ति के तत्काल पश्चात् दिनांक 26 अप्रैल से विद्यालय परिक्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन से शेष रहे विद्यार्थियों के चिह्नीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए तथा दिनांक: 30 अप्रैल, 2018 को SDMC की साधारण सभा एवं शिक्षक-अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक (PTM) आयोजित कर परिक्षेत्र के समस्त चिह्नित विद्यार्थियों का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु वृहद् स्तर पर पारस्परिक विचार-विमर्श कर ठोस कार्ययोजना निर्मित की जाए। इस बैठक में समस्त सदस्यों को अपने विद्यालय की स्टाफ रैंकिंग के बारे में बताएँ तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैंकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्ययोजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जाए। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली शिक्षक-अभिभावक परिषद् (PTA) की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही की जावे।

4. इस सत्र में 'सर्व शिक्षा अभियान' के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में पंचायत स्तर पर समस्त PEEO द्वारा HOUSE HOLD SURVEY : 2017-18 के आधार पर Out of School Children (OoSC) का चिह्नीकरण (सर्वे प्रपत्र-1) किया जाकर शाला दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग का कार्य किया गया है। उक्त सर्वे प्रपत्र-1 के आधार पर औपचारिक विद्यालय प्रवेश से वंचित समस्त बच्चों की मैनस्ट्रीमिंग (सर्वे प्रपत्र-2) की जानी है। विद्यालय से जोड़े जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को प्रवेश निमंत्रण पत्र भी सम्बन्धित शाला प्रधान के पर्यवेक्षण में सर्वे टोली के सदस्यों द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। विगत वर्ष समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा समूह वार आदर्श नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना के तहत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु कक्षा समूह वार नामांकन लक्ष्य पुनर्निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत सत्र: 2017-18 हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग का कुल नामांकन लक्ष्य 5322354 निर्धारित किया गया। उक्त लक्ष्य के विरुद्ध लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत अपेक्षानुरूप नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में लम्बित लक्ष्य प्राप्ति एवं आगामी सत्र: 2018-19 हेतु अग्रिम रूप से निर्धारित आदर्श नामांकन की लक्ष्य पूर्ति हेतु समस्त संस्थाप्रधानों द्वारा अभिभावकों के साथ-साथ स्थानीय जन समुदाय एवं स्टाफ सदस्यों के समुचित सहयोग एवं समन्वय द्वारा सार्थक कार्ययोजना निर्मित कर अधिकाधिक लक्ष्य पूर्ति अपेक्षित है।
5. संस्थाप्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थानों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम तथा वास स्थान के मौजिज व्यक्तियों के साथ समन्वित प्रयास कर नामांकन के लक्ष्य को आसानी से गुणवत्ता के साथ अर्जित किया जा सकता है। नामांकन वृद्धि हेतु जन समुदाय के समन्वय से अनुकरणीय कार्य करने वाले शिक्षकों को विद्यालय स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित छात्रों के साथ स्वागत किए जाने की कार्यवाही भी इस दिशा में अन्य शिक्षकों एवं कार्मिकों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।
6. माह अप्रैल-2018 में सम्पूर्ण राज्य में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किए जाने के क्रम में 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग' द्वारा दिनांक : 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। समस्त संस्थाप्रधानों एवं PEEO द्वारा उक्त विशिष्ट अवसर का लाभ शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक सुअवसर के रूप में उठाया जा सकता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के PEEO तथा समस्त संस्थाप्रधानों द्वारा उक्त ग्राम सभा के आयोजन के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा नामित ग्राम सभा प्रभारी, सरपंच तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों, SDMC. सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों, स्थानीय भामाशाहों, स्थानीय मीडिया एवं अन्य राजकीय एजेंसियों से पूर्व विचार-विमर्श एवं समन्वय उपरान्त सम्पूर्ण प्रवेशोत्सव आयोजन की प्रभावी रूपरेखा निर्मित कर तदनुसार ग्राम पंचायत/कैचमेंट एरिया के समस्त विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत

नामांकन सुनिश्चितता की सार्थक कार्ययोजना निर्मित की जानी अपेक्षित है। उक्त बाबत विभागीय स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं समस्त जिला कलक्टर को स्थानीय प्रशासनिक/पंचायती राज अधिकारियों/कार्मिकों का वांछित सहयोग-समन्वय विभागीय अधिकारियों एवं शिक्षकों/कार्मिकों को उपलब्ध करवाए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं।

7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार में समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO को पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्धारित तिथि की अवगति प्राप्त कर तदनुसार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हेतु स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जिला प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों/एजेंसियों से वांछित सहयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा आयोजन से पूर्व सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने बाबत समुचित निर्देश प्रदान किए जाएंगे। उक्त ग्राम सभाओं में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO आवश्यकतानुसार स्टाफ सदस्यों का सहयोग लेते हुए समस्त उपस्थित अभिभावकों/ग्रामवासियों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए 'प्रवेशोत्सव एवं नामांकन वृद्धि अभियान' में उनकी सहभागिता प्राप्त करेंगे। साथ ही ग्राम सभा आयोजन में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों/अभिभावकों तथा पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों/कार्मिकों को राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभाग द्वारा लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों-उपागमों के परिणामस्वरूप विगत वर्षों में उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी भी दी जाए।
8. पंचायत समिति व जिला परिषद् की साधारण सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् से समन्वय कर प्रवेशोत्सव कार्य योजना के अनुसार जिला परिषद् व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परिषद् की साधारण सभा में एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अनुभवी अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त पंचायत समितियों की साधारण सभा में उपस्थित रहकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी एवं सार्थक जुड़ाव प्रवेशोत्सव कार्यक्रम तथा नामांकन वृद्धि अभियान हेतु प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

संस्थाप्रधानों हेतु दो चरणों में आयोज्य प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2018 की विस्तृत रूपरेखा, कार्यक्रम विवरण एवं प्रपत्रादि संलग्न प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्राधिकार में उपर्युक्तानुसार निर्देशित कार्यवाही तथा नामांकन वृद्धि अभियान की ठोस एवं सार्थक क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

- संलग्न:- विस्तृत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम मय रूपरेखा एवं प्रपत्र
- (नथमल डिडेल) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रवेशोत्सव : कार्यक्रम रूपरेखा

(चलो पढ़ाएँ-आगे बढ़ाएँ - राष्ट्र धर्म निभाएँ)

प्रस्तावना-

गत वर्ष विभाग द्वारा चलाए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक, जनप्रतिनिधि व अभिभावकों द्वारा दिए गए सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। विगत वर्ष समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु आगामी दो वर्षों हेतु नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। विभाग लक्ष्य को अर्जित करने के लिए कटिबद्ध है, अतः इस वर्ष भी विभाग ने प्रवेशोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक तथा संस्थाप्रधानों की है। विभाग अपेक्षा रखता है कि शिक्षक व संस्थाप्रधान चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदत्त नामांकन लक्ष्य को अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कक्षा 12 तक पहुँचते-पहुँचते काफी कम रह जाती है अर्थात् विद्यार्थी अपनी शिक्षा निरन्तर नहीं रख पाते हैं। प्रवेशोत्सव मात्र विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में विद्यार्थी के प्रवेश तक ही सीमित नहीं है, वरन् यह मध्य की कक्षाओं में ड्रॉप-आउट हुए विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाए जाने का भी प्रयास है।

शिक्षा में निरन्तरता को बनाए रखना राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन व छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन के बाद भी इस क्षेत्र में वांछित सफलता अभी शेष है। अतः आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया जाए तथा उनका पूर्ण Tracking रिकार्ड भी संधारित हो। इस हेतु अपने आसपास के फीडर विद्यालयों से अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करें, साथ ही निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को राजकीय विद्यालयों की विशेषताओं यथा पूर्ण प्रशिक्षित योग्य शिक्षक, विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में अवगत और आश्वस्त करवाते हुए राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रेरित करें।

वर्ष 2018-19 हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं संस्था प्रधान का दायित्व है कि वे अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेशोत्सव का यह विशेष अभियान दिनांक 26 अप्रैल, 2018 से विधिवत् रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान द्वारा नामांकन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। यह अभियान समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के रास्ते में मील का पत्थर साबित हो, इसलिए

आवश्यक है कि इसमें अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनसमुदाय का प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुए इस अभियान को सफल बनाएँ।

उद्देश्य

- कक्षा 1 में नव प्रवेशी बालकों को चिह्नित कर नामांकित करवाना।
- अध्ययन की निरन्तरता हेतु, अध्ययन निरन्तर नहीं रख पाने वाले छात्र-छात्राओं पर विशेष ध्यान देना।
- ड्रॉप आउट हुए छात्र-छात्राओं को 'Back-to-school' हेतु कार्ययोजना बनाना।
- मौसमी पलायन करने वाले बालक-बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित गैर आवासीय विशेष शिक्षण शिविरों से उत्तीर्ण बच्चों को मुख्य धारा में प्रवेश दिलवाना।
- बाल श्रम में संलग्न ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर पूर्ववर्ती कक्षा से आगे अध्ययन हेतु प्रवेश दिलवाना।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय से उत्तीर्ण बालिकाओं हेतु शारदे छात्रावास अथवा अन्य विद्यालयों में उनके अध्ययन की निरन्तरता हेतु Tracking Plan बनाना।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उच्चतम कक्षा पूर्ण होने तक उसी विद्यालय में अध्ययनरत निरन्तरता हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना।

'पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान'

दो प्रमुख चरण

1. प्रथम चरण- दिनांक 26 अप्रैल 2018 से 09 मई 2018 तक।
2. द्वितीय चरण- शेष रहे हार्ड कोर लक्ष्य समूह हेतु दिनांक 19 जून, 2018 से 30 जून, 2018 तक।

पूर्व तैयारियाँ एवं प्रचार-प्रसार/आई.ई.सी. Information

for Education Communication

- नजरी नक्शा बनाना- उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में उनके फीडर स्कूलों/निवास स्थानों का एक कार्डशीट पर नजरी नक्शा तैयार करना, जिसमें नामांकन लक्ष्य और विद्यालय की स्थिति एवं उपलब्धि (At a Glance) अंकित हों। यह नजरी नक्शा आपके विद्यालय में हर समय उपलब्ध हो ताकि निरीक्षण के समय विभागीय अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों से अभियान बाबत सम्बलन प्राप्त करने में सुविधा रहे।
- शहरी विद्यालयों के निकटस्थ फीडर स्कूल/कैचमेंट एरिया का निर्धारण।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा शिक्षा की निरन्तरता हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- इस हेतु सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- शिक्षा की निरन्तरता हेतु इस अभिनव पहल पर आधारित पोस्टर एवं हैण्ड आउट्स प्रिंट करवाना।
- ढोल एवं गाजे-बाजे के साथ रैलियाँ आयोजित करना, जिसमें बैनर एवं नारों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु मौहल्ला/ग्रामवार टोलियाँ बनाकर लक्ष्य समूह से घर-घर सम्पर्क करते हुए लक्ष्य समूह

को निमंत्रण पत्र/कार्ड वितरित कर उनके बच्चों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु निमंत्रित करना।

- प्रवेश हेतु निमंत्रण पत्र का प्रारूप

माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान
प्रवेशोत्सव अभियान-2018
कक्षा..... में प्रवेश हेतु निमंत्रण
जिला..... ब्लॉक.....
नाम छात्र/छात्रा.....
पिता/माता/संरक्षक का नाम.....
ग्राम/वास स्थान.....
ग्राम पंचायत का नाम.....
पूर्ववर्ती विद्यालय का नाम.....
प्रवेश लेने वाले विद्यालय का नाम.....
विद्यालय में आयोजित होने वाले प्रवेशोत्सव की तिथि.....
हस्ताक्षर संस्था प्रधान
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय.....

लक्ष्य समूह निर्धारण-

- पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले लक्ष्य समूह के बच्चों की सूचियाँ फीडिंग एरिया/कैचमेन्ट एरिया के आँगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त करना।
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा हाउसहॉल्ड सर्वे में चिह्नित 'आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन' की सूचियाँ प्राप्त करना।
- प्रवेश लेने वाले लक्ष्य समूह के बच्चों को चिह्नित कर सूचियाँ तैयार करवाना।
- कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कक्षा 9 में प्रवेश हेतु उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कक्षा 11 में प्रवेश हेतु माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कैचमेन्ट एरिया के निजी विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची बनाना।

‘ज्ञान दीप जलाओ, अज्ञान अंधेरा भगाओ’

कन्वर्जेन्स (सहयोगी संस्थाएँ)

- जिला प्रशासन।
- शिक्षा विभाग (प्रारंभिक शिक्षा)।
- शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
- सर्व शिक्षा अभियान।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
- पंचायतीराज संस्थाएँ एवं शहरी निकाय।
- समाज कल्याण विभाग।
- महिला एवं बाल विकास विभाग।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग।
- लक्ष्य समूह के अभिभावक गण।
- स्वयंसेवी संस्थाएँ।

प्रवेशोत्सव क्रियान्विति के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- प्रवेशोत्सव से सम्बन्धित पैम्पलेट्स का आवश्यक संख्या में मुद्रण एवं ग्राम/कस्बे/ढाणियों में वितरण।
- आवश्यकतानुसार प्रवेश हेतु निमंत्रण कार्ड का मुद्रण करवाना।
- पंचायत एवं ब्लॉक स्तरीय समितियों की बैठकों में फीडिंग/कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण करना।
- परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही लक्ष्य समूह के निर्धारण हेतु संस्था प्रधानों से क्रमशः कक्षा 5 उत्तीर्ण, कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण बालक-बालिकाओं की सूचियाँ प्राप्त करना।
- सूचियों का Validation करवाना।
- प्रवेशोत्सव से पूर्व प्रतिदिन का कार्यक्रम बनाकर समाचार पत्रों/सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित करना।
- नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण और अन्य प्रोत्साहन सामग्री वितरित करवाना।
- समय-समय पर प्रभावी मॉनिटरिंग द्वारा नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना।
- अभिभावक सम्पर्क/जन सम्पर्क करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा से वंचित जिन बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना है, उनकी सूची विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध हो। इस हेतु विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में शिक्षा से वंचित अनामांकित बच्चों के प्रवेश हेतु V.E.R. (Village education register)/ W.E.R. (Ward education register) का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- उक्त सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षेत्र के PEEO द्वारा अधीनस्थ समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों एवं स्टाफ को सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान के क्षेत्र के PEEO के नेतृत्व एवं सहयोग-समन्वय द्वारा आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु नामांकन लक्ष्य प्राप्ति की संयुक्त योजना निर्मित कर उसे अमली जामा पहना सकते हैं।

‘माना कि अंधेरा घना है, दीया जलाना कहाँ मना है’

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2018

(प्रथम चरण) अप्रैल-मई 2018 (26.4.2018 से 09.05.2018)

26 अप्रैल, 2018 से 28 अप्रैल, 2018 (गुरुवार से शनिवार)	1. विद्यालयों से लक्ष्य समूह की सूचियाँ प्राप्त करना एवं कार्ड तैयार करना 2. स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना। 3. बालक-बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से सम्पर्क स्थापित करना जिनके बच्चे विद्यालय में अनामांकित हैं, उन्हें प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करना। साथ ही बालिका नामांकन/बालिका प्रवेश हेतु विशेष ध्यान देना। 4. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा हाउसहॉल्ड सर्वे में चिह्नित 'आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन' की सूचियाँ प्राप्त करना।
30 अप्रैल, 2018 (सोमवार)	SDMC. की साधारण सभा एवं शिक्षक-अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक आहूत करना एवं प्रवेशोत्सव के आयोजन के सम्बन्ध में जानकारी देना तथा उनका वांछित सहयोग प्राप्त करना। इस बैठक में विद्यालय की स्टार रैंकिंग के बारे में बताएँ तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैंकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्य योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करें। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली अध्यापक-अभिभावक परिषद् की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करें। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय मीडिया की नामांकन वृद्धि अभियान में सहभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय अभिभावकों एवं जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त करें।
1 मई, 2018 (मंगलवार)	प्रार्थना सभा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलकार्चन द्वारा स्वागत-सत्कार। विद्यालय परिसर की साज-सज्जा, वृक्षारोपण कार्य करवाना एवं घर-घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना एवं स्टाफ के साथ बैठक कर नामांकन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रवेशोत्सव की अवधि में किए जाने वाले कार्यों के लिए व्यापक योजना निर्मित करना। प्रवेशोत्सव में प्रत्येक स्टाफ सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक कार्यों की जिम्मेवारी प्रदान करना।

2 मई, 2018 (बुधवार)	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल-नगाड़े एवं मंजीरे के साथ रैली निकालना।
3 मई, 2018 (गुरुवार)	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थना सभा के दौरान नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत करना।
4 मई, 2018 (शुक्रवार)	मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों में प्रवेश से वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्डपंच/सदस्य एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को सम्बोधन कराना।
5 मई, 2018 (शनिवार)	बाल सभा, स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेलकूद गतिविधियों एवं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जो बच्चों को प्रवेश दिलाने में प्रेरक बने। यदि संभव हो तो प्रेरक चल चित्र का प्रदर्शन कराना। विद्यालय में प्रवेश से वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने के साथ बच्चों की चित्रकला एवं सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। बच्चों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल खेलों का आयोजन, शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रदर्शन। पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन।
7 मई, 2018 (सोमवार)	प्रभात फेरी का आयोजन तथा नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण। अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं को पता लगाकर वंचित रह गए बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना।
8 मई, 2018 (मंगलवार)	समारोह आयोजित कर नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत, पहचान-पत्र, बैज इत्यादि सामग्री का जनप्रतिनिधियों/संस्था प्रधानों द्वारा वितरण। साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/प्रोत्साहन सामग्री का वितरण।
9 मई, 2018 (बुधवार)	प्रवेशोत्सव के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रवेशोत्सव पखवाड़े के अन्तर्गत सम्पादित किए गए कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

**‘प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण’ : जून-2018
(19.06.2018 से 30.06.2018 तक)**

:: कार्यक्रम विवरण ::

19 जून, 2018 (मंगलवार)	विभागीय निर्देशानुसार ‘अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के विद्यालय में सम्पूर्ण तैयारी के साथ आयोजन हेतु समस्त स्टाफ की बैठक का आयोजन। इस कार्यक्रम में समस्त विद्यार्थियों और स्थानीय जनसमुदाय की अधिकाधिक भागीदारी हेतु समस्त स्टाफ द्वारा घर-घर जाकर सम्पर्क किया जाए। विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक को आयोजन की विशिष्ट जिम्मेवारी प्रदान की जाए तथा स्टाफ बैठक में प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण की कार्ययोजना पूर्व प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्मित की जाए।
20 जून, 2018 (बुधवार)	प्रथम चरण में शेष रहे हार्ड कोर बच्चों की सूचियाँ तैयार करना, निमंत्रण कार्ड तैयार करना, घर-घर सम्पर्क हेतु योजना बनाना। प्रवेश से वंचित बच्चों को लक्ष्य कर उनके घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश हेतु पुनः आमंत्रित करना।
21 जून, 2018 (गुरुवार)	विद्यालय ‘अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस’ को समारोह पूर्वक मनाना। इस कार्यक्रम में आसपास के जनसमुदाय को सम्मिलित करते हुए योग की महत्ता से अवगत कराते हुए विभिन्न आसन, प्राणायाम इत्यादि का प्रदर्शन करना। विद्यार्थियों के मध्य खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना। प्रवेश से अब तक वंचित बच्चों के बारे में पुनः फीडबैक प्राप्त कर उनके अभिभावकों को प्रेरित करना।
22 जून, 2018 (शुक्रवार)	विद्यार्थियों के साथ स्टाफ द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा साज-सज्जा का कार्य करवाना। पर्यावरण संरक्षण की महत्ता से विद्यार्थियों को जागरूक करवाते हुए उनसे वृक्षारोपण का कार्य करवाना एवं घर-घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना।
23 जून, 2018 (शनिवार)	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल-नगाड़े एवं मंजीरे के साथ रैली निकालना।
25 जून, 2018	स्थानीय जनप्रतिनिधियों/अभिभावकों की

(सोमवार)	उपस्थिति में लघु सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थना सभा में नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का माल्यार्पण एवं तिलकार्चन द्वारा स्वागत सत्कार करना।
26 जून, 2018 (मंगलवार)	मौहल्ला बैठकों के माध्यम से विद्यालय प्रवेश से अब तक वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच/पंचायत संस्थाओं के सदस्य एवं स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों के प्रेरणादायक उद्बोधन द्वारा बच्चों को प्रेरित करवाना।
27 जून, 2018 (बुधवार)	पुनः विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना, पुनः ढोल-नगाड़े इत्यादि के साथ रैली/प्रभात फेरी का आयोजन। अभी भी वंचित रह गए बालक-बालिकाओं से डोर टू डोर सम्पर्क कर प्रवेश हेतु प्रेरित करना।
28 जून, 2018 (गुरुवार)	भामाशाह जयन्ती का विद्यालय में समारोहपूर्वक आयोजन करना। इस आयोजन में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित कर विद्यालय हेतु सहयोग जुटाने के लिए प्रेरित करना। प्रवेशोत्सव के बारे में भामाशाहों को जानकारी देकर नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए प्रतीकात्मक अध्ययन सामग्री यथा-पेन, पेंसिल, कॉपी इत्यादि भामाशाहों से प्राप्त कर प्रोत्साहन स्वरूप वितरण करवाना।
29 जून, 2018 (शुक्रवार)	अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालक-बालिकाओं को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाकर, वंचित रह गये बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना।
30 जून, 2018 (शनिवार)	SMC./SDMC. की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित सत्रपर्यन्त कार्ययोजना को अन्तिम रूप देना तथा विद्यालय को वर्ष 2018-19 हेतु कक्षा समूहवार प्रदत्त नामांकन लक्ष्य के अर्जन हेतु शाला स्टाफ के साथ सामूहिक बैठक में समीक्षा उपरान्त आवश्यकतानुसार आगामी कार्ययोजना का निर्माण करना। प्रवेशोत्सव के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा एवं कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

‘शिक्षा में संस्कार हो, राष्ट्रधर्म अंगीकार हो’

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

कक्षा	अनु. जाति		अनु. जनजाति		अ.पि.व.		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
योग														

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का तुलनात्मक विवरण

कक्षा	अनु. जाति		अनु. जनजाति		अ.पि.व.		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान के पश्चात
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
योग														

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान

3. आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों द्वारा आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2018-19 का वार्षिक पंचांग एवं आवश्यक दिशा निर्देश ।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा/माध्य/शिप्र/बी/18701/पंचांग/2018-19/दिनांक: 11/04/2018 ● समस्त उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ● विषय: आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों द्वारा आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2018-19 का वार्षिक पंचांग एवं आवश्यक दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में राज्य के

आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों द्वारा सत्र 2018-19 में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग एवं संस्थानों का क्षेत्राधिकार का विवरण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के वार्षिक पंचांगानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु संलग्न प्रारूप में प्रशिक्षार्थियों (वरिष्ठ अध्यापकों) के प्रतिनियुक्ति आदेश राज्य सरकार के आदेशानुसार आप द्वारा संबंधित विषय के प्रशिक्षण से दो माह पूर्व अनिवार्य रूप से जारी किए जावें तथा पिछले दो वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों एवं अधिकारियों, सेवानिवृत्ति से दो वर्ष की अवधि शेष रहने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। निर्देशानुसार इस वर्ष भी व्याख्याता एवं ऊपर के स्तर के शिक्षा अधिकारियों के आदेश निदेशालय

स्तर से जारी होंगे। कार्यालय स्तर पर कैडरवार व विषयवार शिक्षकों का प्रोफाइल तैयार किया जाए। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी व्याख्याता व ऊपर के स्तर के शिक्षा अधिकारियों की प्रोफाइल तैयार कर निदेशालय को मई 2018 में आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे। प्रतिनियुक्त संभागियों की सूची से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को समय पर अवगत कराया जावे। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 17(01) शिक्षा-1/2008 जयपुर दिनांक 29-01-2010 शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जारी निम्न निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए:-

1. आयोज्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त शिक्षक अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।
2. आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों के लिए निदेशालय द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिनियुक्ति दो माह पूर्व ही जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) आवश्यक रूप से भिजवाकर कार्यालय से आदेश जारी कराए जाएँ। इस हेतु दोनों पक्षकार पत्र दूरभाष पर एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विषयवार शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट रखी जावे। प्रतिनियुक्ति करते समय प्रशिक्षार्थियों के दोहराव को रोकने की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
4. प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों (व्याख्याता एवं उच्च स्तर) को सम्बन्धित संस्था प्रधान के स्थान पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक स्तर के कार्मिक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सीधे ही कार्यमुक्त किया जाएगा। इस आदेश की अक्षरशः पालना की जावे।
5. गंभीर बीमारी, लंबे अवकाश तथा महिला प्रतिभागी के 05 वर्ष से छोटे बच्चे होने के प्रकरणों पर जि.शि.अ. अपने स्तर से जाँच कर प्रशिक्षण में छूट प्रदान कर अवगत कराएगा, शेष प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मुक्ति पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाती है।
6. उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्त संभागियों के कार्यक्रम में भाग नहीं लेने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक की ए.सी.आर. एवं सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जाए। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए/प्रस्तावित की जाए।
7. उप निदेशक स्तर पर शैक्षिक प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का सतत पर्यवेक्षण किया जाए/ जिला मुख्यालय से मासिक आँकड़े प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की जाए।
8. प्रत्येक प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर सम्बन्धित उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिशः जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
9. प्राचार्य, आई.ए.एस.ई., बीकानेर/अजमेर सम्बन्धित अनुपस्थित शिक्षा अधिकारी/कार्मिक की सूचना संबंधित जिशिअ. को शिविर समाप्ति के सात दिवस के भीतर भिजवाई जानी सुनिश्चित करें। संबंधित जिशिअ. अनुपस्थित अधिकारी/कार्मिकों को 'कारण

बताओ नोटिस' जारी करेंगे तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी समीक्षोपरान्त जवाब से संतुष्ट न होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अनुशासनात्मक अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेंगे।

10. उप निदेशक (मा.) कार्यालय स्तर से त्रैमासिक संख्यात्मक/पर्यवेक्षणीय रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जाए। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही के संख्यात्मक आँकड़े अलग से प्रेषित किए जाएँ।
11. कार्यालय एवं संस्थान वार्षिक पंचांग की पावती सूचना से कार्यालय को अवगत कराएँ। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निदेशालय के शिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग से सम्बन्धित समस्त आवश्यक पत्र व्यवहार एवं आदेशों को ईमेल ad.trg.dse@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कर आवश्यक पत्राचार कर सकते हैं।
12. आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. में संचालित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण निदेशालय स्तर के अधिकारी द्वारा, सम्बन्धित उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा तथा संबंधित संस्था इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।
13. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के वरिष्ठ अध्यापक तदनुरूप संबंधित सी.टी.ई. में एवं उच्चतर पद यथा-व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य संबंधित आई.ए.एस.ई. में सम्मिलित होंगे। इस हेतु चरू संभाग, जोधपुर संभाग के उच्चतर पद कार्मिक आई.ए.एस.ई. बीकानेर तथा शेष संभागों के आई.ए.एस.ई. अजमेर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
14. उपनिदेशक प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व अपने-अपने स्तर के जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिमाह बैठक आयोजित कर आगामी माह की प्रशिक्षण सूची की निश्चितता तय कर लें।
15. उपनिदेशक महोदय अपने स्तर पर योग्यतम अधिकारियों का दल गठित करें, जो प्रशिक्षण की नियमित मॉनीटरिंग करें।
16. सी.टी.ई. संस्थाओं में सी.टी.ई. के पदों पर कार्यरत सभी सम्बन्धित कार्मिक को प्रशिक्षण के कार्यदिवसों में उपस्थित रह कर शिविर संचालित करें। चूंकि समस्त सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई./नॉन-वोकेशनल होने के कारण राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा जारी पंचांग अनुसार कार्य सम्पादित करें।
17. समस्त सी.टी.ई. में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवासीय होने के कारण समय विभाग चक्र उसी अनुरूप बना कर शिविर संचालित करें।
18. समस्त सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई. में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में अधिकतम 60% बाहरी सन्दर्भ व्यक्ति एवं शेष कालांश संस्थान स्तर के प्राध्यापकों द्वारा सुनिश्चित करें।

● संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

● (नथमल डिंडेल) I.A.S. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

राज्य की आई.ए.एस.ई एवं सी.टी.ई. को सेवारत प्रशिक्षणों के लिए आवंटित जिलों का विवरण वर्ष 2018-19

1	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	
	(अ) वरिष्ठ अध्यापक स्तर हेतु	बीकानेर
	(ब) व्याख्याता, प्र.अ., प्रधानाचार्य स्तर हेतु	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, नागौर, दौसा, अलवर।
2	आई.ए.एस.ई. अजमेर	
	(अ) वरिष्ठ अध्यापक स्तर हेतु	अजमेर
	(ब) व्याख्याता, प्र.अ., प्रधानाचार्य स्तर हेतु	अजमेर, टोंक, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली।

वरिष्ठ अध्यापक स्तर के लिए सी.टी.ई. संस्थानों को आवंटित जिलों का विवरण

1.	सी.टी.ई. सरदारशहर (चूरू)	चूरू, सीकर, झुंझुनूं
2.	सी.टी.ई. विद्याभवन उदयपुर	उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही
3.	सी.टी.ई. संगरिया (हनुमानगढ़)	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
4.	सी.टी.ई. जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली।
5.	सी.टी.ई. डबोक (उदयपुर)	डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद।
6.	सी.टी.ई. जामडोली (जयपुर)	जयपुर, दौसा, अलवर, बूंदी, कोटा।
7.	सी.टी.ई. भुसावर (भरतपुर)	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली।
8.	सी.टी.ई. हट्टण्डी (अजमेर)	भीलवाड़ा, टोंक, बारां, नागौर।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

राज्य की आई.ए.एस.ई एवं सी.टी.ई. को सेवारत प्रशिक्षणों के लिए आवंटित संभागवार जिलों का विवरण वर्ष 2018-19

1	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	
	(अ) वरिष्ठ अध्यापक स्तर हेतु	बीकानेर जिला
	(ब) व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य स्तर हेतु	चूरू, जोधपुर, बीकानेर, पाली मण्डल (पाली जिले को छोड़कर)
2	आई.ए.एस.ई. अजमेर	
	(अ) वरिष्ठ अध्यापक स्तर हेतु	अजमेर जिला
	(ब) व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य स्तर हेतु	जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, पाली मण्डल (केवल पाली जिला)

वरिष्ठ अध्यापक स्तर के लिए सी.टी.ई. संस्थानों को आवंटित जिलों का विवरण

1.	सी.टी.ई. सरदारशहर (चूरू)	चूरू, सीकर, झुंझुनूं।
2.	सी.टी.ई. विद्याभवन उदयपुर	उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही।
3.	सी.टी.ई. संगरिया (हनुमानगढ़)	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
4.	सी.टी.ई. जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली।
5.	सी.टी.ई. डबोक (उदयपुर)	डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद।
6.	सी.टी.ई. जामडोली (जयपुर)	जयपुर, दौसा, अलवर, बूंदी, कोटा।
7.	सी.टी.ई. भुसावर (भरतपुर)	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली।
8.	सी.टी.ई. हट्टण्डी (अजमेर)	भीलवाड़ा, टोंक, बारां, नागौर।

प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक निर्देश

- सत्र 2007-08 से प्रशिक्षणार्थ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति निदेशालय स्तर से नहीं की जाकर जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक शिक्षा द्वारा किए जाने सम्बन्धी निर्देश राज्य सरकार के आदेश की पालना में पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में समस्त जिला अधिकारी पंचांग स्तर एवं विषयानुसार सम्बन्धित आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. के लिए समानुपातिक प्रणाली का उपयोग करते हुए वरिष्ठ अध्यापकों के प्रतिनियुक्ति आदेश शिविर प्रारंभ होने से दो माह पूर्व जारी करेंगे तथा एक प्रति से संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा, सम्बन्धित मण्डल शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. तथा संबन्धित संस्था प्रधान को आवश्यक रूप से भेजें। (विस्तृत आदेश के लिए देखें, **संलग्न प्रारूप-1**) निर्देशानुसार सत्र 2017-18 से उक्त आदेश में संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक स्तर के आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं व्याख्याता/प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के आदेश निदेशालय द्वारा जारी किए जाएंगे (**प्रारूप-2** के अनुसार)।
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो कालांश/सत्र विशिष्ट क्षेत्र के होंगे जिनमें से एक कालांश जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम 2011, मौसमी बीमारियाँ एवं व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा का मानवीकरण, भारतीय संस्कृति में निहित वैज्ञानिकता अथवा भारतीय सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं इनकी वैज्ञानिकता, ध्यान व योग, लैंगिक संवेदनशीलता, शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) 2009, बाल अधिकार कानून, भ्रष्टाचार एवं निवारण, मूल्यों का विकास, मानवाधिकार, प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति चेतना, समय नियोजन एवं कर्तव्यनिष्ठा, पर्यावरण (ईको क्लब, ग्लोबल वार्मिंग), एन.एस.एस./एन.सी.सी., सूचना का अधिकार कानून, विद्यालय में मूल्यांकन प्रक्रिया, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना एवं स्वास्थ्य शिक्षा, विषय पर भी वार्ता रखी जाए।

3. इसी क्रम में दूसरी वार्ता कालांश/वार्ता भ्रष्टाचार रोकने तथा प्रशासनिक सुधार लागू करने बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकों के अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करने, अपने कार्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए समय पर कार्य करने एवं इन्हें एन.सी.सी. आदि गतिविधियों, सड़क सुरक्षा, भारत के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी, दिव्यांग छात्र-छात्राओं का शिक्षण, एस.आई.क्यू.ई., ई-लर्निंग एवं डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम, शाला दर्पण, शाला सिद्धी का संचालन एवं कुशल निष्पादन, किशोर बालिकाओं की सामाजिक-शारीरिक-मानसिक समस्याओं का निराकरण में शामिल करने हेतु किसी/किन्हीं मान्य विद्वान का व्याख्यान जो कि उक्त विचारों से संबंधित हो, अनिवार्य रूप से रखा जाए। प्रत्येक प्रशिक्षण आयोजक संस्था विभिन्न क्षेत्रों/विषयों हेतु विशेषज्ञों के पैनल तैयार करें तथा आवश्यकतानुसार उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित करें। यहाँ यह विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र औपचारिक व नीरस न रह जाए, इस हेतु वार्ताकारों के चयन में सावधानी रखी जाए। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात संभागियों से पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा प्रारूप-3 में करवाई जाए एवं जिन आमंत्रित वार्ताकारों की वार्ताओं में 70% से अधिक संभागियों ने विशेष नहीं जैसी टिप्पणी की हो उन वार्ताकारों को भविष्य में आमंत्रित करने में वरीयता नहीं दी जाए।
4. विषय आधारित प्रशिक्षण कार्य में पूर्व एवं पश्चात जाँच सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (जिसके अन्तर्गत अध्यापक की समयबद्धता, कार्यनिष्ठा, व्यवहार एवं भाषा शैली आदि) अनिवार्य रूप से किया जाए। संभागियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि (श्रेणी) को उनके प्रमाण-पत्र में अंकित किया जाए।
5. सत्रपर्यन्त आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. में आयोज्य शिविरों की स्पष्ट कार्ययोजना बनी होनी चाहिए तथा सम्भागी प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यालय में जाकर विभिन्न गतिविधियाँ किस प्रकार से संचालित करेगा/करेगी उसकी कार्ययोजना, प्रशिक्षण के दौरान सम्भागियों से ले ली जाए तथा विद्यालय के कार्यक्रमों के दौरान अपने प्रशिक्षण का लाभ पहुँचाते हुए एक अन्तरिम रिपोर्ट सम्बन्धित संस्थान को भिजवाई जाए, जहाँ उसकी समीक्षा करके आवश्यक निर्देश संस्था प्रधान को भिजवाएँ।
6. शिविर समाप्ति पर शिविर प्रतिवेदन प्रायः उपस्थित एवं अनुपस्थित सम्भागियों की संख्यात्मक सूचना तक ही सीमित होकर रह जाता है जबकि प्रतिवेदन प्रतिदिन की सारगर्भित चर्चाओं और वार्ताओं को समेकित करते हुए शिविर का लाभ विद्यालय में किस प्रकार से मिल सकेगा, इस पर संस्थान अपनी टिप्पणी देते हुए विद्यालय के संस्था प्रधान एवं सम्भागी को प्रतिलिपि देते हुए अनुसरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल अधिकारियों को प्रति भेजकर अपने निरीक्षण/जिला स्तर पर आयोज्य गोष्ठियों में इस पर चर्चा करेंगे एवं जहाँ भी कमी दिखाई देवे उस पर अपने आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

7. आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. में दो वर्षों से आमंत्रित विषय विशेषज्ञ की सूचना प्रारूप-4 में तत्काल उपलब्ध करवाई जाए तथा सत्र 2018-19 में आमंत्रित किए जाने वाले विषय विशेषज्ञ की सूची भी उपलब्ध करवायी जाए तथा यह ध्यान में रखा जाए कि बार-बार एक ही विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित नहीं किया जाए।

● संलग्न-प्रारूप 1 से 4

● संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

आवश्यक बिन्दु

नोट:- 1. इस परिशिष्ट का समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा अनिवार्य रूप से अवलोकन किया जाए एवं तदनु रूप निर्देशित कार्यवाही करें। 2. आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. से संबद्ध जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिनियुक्ति आदेश विषयवार, पदवार एवं तिथिवार शिविर प्रारम्भ होने से दो माह पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करें।

आई.ए.एस.ई. से सम्बद्ध जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु निर्देश:-

1. आई.ए.एस.ई. बीकानेर :-

वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष हेतु:- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर सम्बन्धित विषय के 40 व.अ. एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 25 व.अ. के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य हेतु:- आई.ए.एस.ई. बीकानेर से संबद्ध समस्त 15 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दो-दो शिक्षकों/अधिकारियों के आदेश एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु जि.शि.अ. (मा.) बीकानेर, जयपुर-प्रथम, सीकर-प्रथम, अलवर-प्रथम, नागौर-प्रथम दो-दो एवं शेष 14 जि.शि.अ. (मा.) एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय के एक-एक प्रशिक्षणार्थी के पदवार आदेश निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी किए जाएँगे।

2. आई.ए.एस.ई. अजमेर:-

वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष हेतु:- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अजमेर-प्रथम, अजमेर-द्वितीय प्रत्येक सम्बन्धित विषय के बीस-बीस वरिष्ठ अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आदेश जारी करेंगे।

व्याख्याता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य हेतु:- आई.ए.एस.ई. अजमेर से संबद्ध समस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)-दो-दो शिक्षकों/अधिकारियों के आदेश एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण हेतु जि.शि.अ. (मा.) अजमेर-प्रथम, अजमेर-द्वितीय, भरतपुर-प्रथम, उदयपुर-प्रथम, भीलवाड़ा-प्रथम- दो-दो एवं शेष जि.शि.अ. (मा.)-एवं संस्कृत शिक्षा निदेशालय के एक-एक प्रशिक्षणार्थी के पदवार आदेश निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी किए जाएँगे।

सी.टी.ई. से सम्बद्ध जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु निर्देश

1. सी.टी.ई. सरदारशहर (चूरू):- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरू एवं झुंझुनूं से 13-13 तथा सीकर प्रथम व द्वितीय

से 7-7 प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।

2. **सी.टी.ई. उदयपुर:-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर-प्रथम-पाँच एवं उदयपुर-द्वितीय-पाँच तथा झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं सिरौही प्रत्येक दस-दस प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।
3. **सी.टी.ई. संगरिया (हनुमानगढ़):-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ प्रत्येक बीस-बीस प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।
4. **सी.टी.ई. जोधपुर:-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर एवं पाली प्रत्येक आठ-आठ प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।
5. **सी.टी.ई. डबोक (उदयपुर):-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद प्रत्येक दस-दस प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।
6. **सी.टी.ई. जामडोली (जयपुर):-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर-प्रथम, जयपुर-द्वितीय, अलवर-प्रथम,

अलवर-द्वितीय से 4-4 तथा बूंदी, कोटा, दौसा से 8-8 प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।

7. **सी.टी.ई. भुसावर (भरतपुर):-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भरतपुर-प्रथम, भरतपुर-द्वितीय पाँच-पाँच तथा जि.शि.अ. (मा.) धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर से दस-दस प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।
8. **सी.टी.ई. हटूणडी (अजमेर):-** जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर-प्रथम, नागौर-द्वितीय, भीलवाड़ा-प्रथम, भीलवाड़ा-द्वितीय से पाँच-पाँच तथा टोंक एवं बारां से दस-दस प्रशिक्षणार्थियों के आदेश जारी करेंगे।

● **संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)**, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। सम्बन्धित प्रारूप-1,2,3,4,अ,ब,स,द,य,र,ल,व, निदेशालय माध्य. शिक्षा राजस्थान, बीकानेर की वेबसाइट edacation.Rajasthan.gov.in/secondary पर उपलब्ध है तथा निदेशालय के शिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग से संबंधित आवश्यक पत्र-व्यवहार हेतु email: ad.trg.dse@rajasthan.gov.in है।

आई.ए.एस.ई. बीकानेर एवं अजमेर में समेकित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 2018-19
आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह मई 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
1	जीव विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	10.05.18	16.05.18	10.05.18	16.05.18
2	हिन्दी	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	14.05.18	20.05.18	14.05.18	20.05.18
3	भूगोल	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	14.05.18	20.05.18	-	-
4	रसायन विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	21.05.18	27.05.18	21.05.18	27.05.18
5	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रिया	योजना प्रभाग	प्रधानाध्यापक	5	40	21.05.18	25.05.18	21.05.18	25.05.18
6	आपदा प्रबंधन	विशिष्ट शिक्षा	प्रधानाचार्य	5	40	21.05.18	25.05.18		
7	योग व स्वच्छ भारत मिशन	विशिष्ट शिक्षा	व्याख्याता	5	40	28.05.18	01.06.18	28.05.18	01.06.18
8	कम्प्यूटर शिक्षा,शाला दर्पण एवं शाला सिद्धि	शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग	प्रधानाध्यापक	5	25	28.05.18	01.06.18	28.05.18	01.06.18
9	आपदा प्रबंधन	विशिष्ट शिक्षा	व.अ.	5	40	-	-	21.05.18	25.05.18

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह जून 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	कम्प्यूटर शिक्षा एवं डिजिटलाइजेशन	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	प्रधानाचार्य	5	25	04.06.18	08.06.18	25.06.18	29.06.18

02	PEEO के अधिकार कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली	योजना प्रभाग	प्रधानाचार्य	5	40	04.06.18	08.06.18	04.06.18	08.06.18
03	अर्थशास्त्र	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	11.06.18	17.06.18	25.06.18	01.07.18
04	गृहविज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	11.06.18	17.06.18	-	-
05	कम्प्यूटर शिक्षा एवं डिजिटलाइजेशन, SIQE व शाला दर्पण प्रशिक्षण	विशिष्ट शिक्षा	Head Teacher व्याख्याता	5	40	18.06.18	22.06.18	-	-
06	जीवन कौशल एवं स्वच्छ भारत मिशन	विशिष्ट शिक्षा	व्याख्याता	5	40	18.06.18	22.06.18	-	-
07	शा.शि. एवं योग	विशिष्ट शिक्षा	व.शा.शिक्षक	5	40	-	-	04.06.18	08.06.18
08	स्वच्छ भारत मिशन	विशिष्ट शिक्षा	प्रधानाध्यापक	5	40	-	-	04.06.18	08.06.18
09	SIQE प्रशिक्षण	प्राथमिक शिक्षा प्रभाग	Head Teacher	5	40	-	-	11.06.18	15.06.18
10	जीवन कौशल	विशिष्ट शिक्षा	व्याख्याता (डाइट, बाइट, IASE)	5	40	-	-	11.06.18	15.06.18
11	संस्कृत	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	25.06.18	01.07.18

नोट:- क्रम संख्या 5 कम्प्यूटर शिक्षा एवं डिजिटलाइजेशन, SIQE व शाला दर्पण प्रशिक्षण बीकानेर में केवल वे ही Head Teacher आने है जो व्याख्याता स्तर के हैं।

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह जुलाई 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	राजनीति विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	02.07.18	08.07.18	23.07.18	29.07.18
02	वाणिज्य	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	02.07.18	08.07.18	23.07.18	29.07.18
03	परामर्श एवं निर्देशन	प्रसार सेवा	प्रधानाध्यापक	5	40	09.07.18	13.07.18	09.07.18	13.07.18
04	व्यक्तित्व विकास	विशिष्ट शिक्षा	व. अध्यापक	5	40	09.07.18	13.07.18	09.07.18	13.07.18
05	बाल अधिकार एवं किशोर अवस्था	विशिष्ट शिक्षा	व. अध्यापक	5	40	16.07.18	20.07.18	16.07.18	20.07.18
06	अंग्रेजी	ईएलटीआई	व्याख्याता	7	40	16.07.18	22.07.18	-	-

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह अगस्त 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	भूगोल	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	01.08.18	07.08.18

02	इतिहास	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	01.08.18	07.08.18
03	हिन्दी	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	01.08.18	07.08.18	-	-
04	अंग्रेजी	ईएलटीआई	व्याख्याता	7	40	01.08.18	07.08.18	-	-
05	शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण	शोध प्रभाग	व्याख्याता	5	40	06.08.18	10.08.18	27.08.18	31.08.18
06	शिक्षा का अधिकार एवं सूचना का अधिकार अधिनियम	विशिष्ट शिक्षा	प्रधानाचार्य	5	40	27.08.18	31.08.18	06.08.18	10.08.18
07	कम्प्यूटर शिक्षा	प्राथमिक प्रभाग	व.अध्यापक	5	40	-	-	06.08.18	10.08.18
08	योग एवं स्वच्छ भारत मिशन	विशिष्ट शिक्षा	व.अध्यापक	5	40	27.08.18	31.08.18	-	-
09	क्रियात्मक अनुसंधान	शोध प्रभाग	व्याख्याता	5	40	27.08.18	31.08.18	-	-
10	अंकेक्षण आक्षेप निस्तारण एवं वित्तीय प्रबन्धन	योजना प्रभाग	प्रधानाचार्य	5	40	-	-	27.08.18	31.08.18

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह सितम्बर 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	इतिहास	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	10.09.18	16.09.18	-	-
02	संस्कृत	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	10.09.18	16.09.18	-	-
03	अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रिया	योजना प्रभाग	प्रधानाचार्य	5	40	10.09.18	14.09.18	10.09.18	14.09.18
04	अंकेक्षण आक्षेप निस्तारण एवं वित्तीय प्रबन्धन	योजना प्रभाग	प्रधानाध्यापक	5	40	-	-	10.09.18	14.09.18
05	पुस्तकालय प्रबन्धन प्रशिक्षण	विशिष्ट शिक्षा	व. पु. अ.	5	40	-	-	10.09.18	14.09.18

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह अक्टूबर 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	राजनीति विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	01.10.18	07.10.18	29.10.18	04.11.18
02	वाणिज्य	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	01.10.18	07.10.18	29.10.18	04.11.18
03	शिक्षा एवं सूचना का अधिकार अधिनियम	विशिष्ट शिक्षा	प्रधानाध्यापक	5	40	29.10.18	02.11.18	-	-

04	राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूकता	प्रसार प्रभाग	प्रधानाध्यापक	5	40	29.10.18	02.11.18	22.10.18	26.10.18
05	शिक्षा एवं सूचना का अधिकार अधिनियम	विशिष्ट शिक्षा	प्रधानाचार्य	5	40	-	-	22.10.18	26.10.18
06	भौतिक विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	29.10.18	04.11.18

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह नवम्बर 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	भौतिक विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	12.11.18	18.11.18	-	-
02	रसायन विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	12.11.18	18.11.18	12.11.18	18.11.18
03	अंकेक्षण आक्षेप निस्तारण एवं वित्तीय प्रबंधन	योजना प्रभाग	प्रधानाध्यापक	5	40	12.11.18	16.11.18	-	-
04	शाला प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन	योजना प्रभाग	प्रधानाचार्य	5	40	-	-	12.11.18	16.11.18
05	शान्ति के लिए शिक्षा	विशिष्ट शिक्षा	व. अध्यापक	5	40	15.11.18	19.11.18	-	-
06	राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ	प्रसार सेवा	प्रधानाचार्य	5	40	15.11.18	19.11.18	15.11.18	19.11.18
07	अंकेक्षण आक्षेप निस्तारण	योजना प्रभाग	प्रधानाचार्य	5	40	15.11.18	19.11.18	-	-

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग (माहवार)

सत्र 2018-19

माह दिसम्बर 2018			कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम		संभागियों की संख्या	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		आई.ए.एस.ई. अजमेर	
क्र.सं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रभाग	स्तर	अवधि		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
01	गणित	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	01.12.18	07.12.18	01.12.18	07.12.18
02	उर्दू	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	01.12.18	07.12.18
03	कम्प्यूटर शिक्षा, शाला दर्पण एवं शाला सिद्धि	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	व. अध्यापक	5	25	03.12.18	07.12.18	-	-
04	आपदा प्रबंधन	प्राथमिक शिक्षा	व्याख्याता (डाइट)	5	40	03.12.18	07.12.18	-	-
05	जीव विज्ञान	शैक्षिक आधार	व्याख्याता	7	40	-	-	01.12.18	07.12.18

आई.ए.एस.ई. बीकानेर व अजमेर में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वार्षिक पंचांग 2018-19

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान की अन्य गतिविधियाँ/कार्यशालाएँ/बैठकें

कार्यशाला/बैठकों/ गतिविधियों के नाम	संस्थावार कार्यक्रम व संभागियों की संख्या						कार्यक्रमों का योग	संभागियों का योग
	आयोजन दिनांक आई.ए.एस.ई. बीकानेर	बीकानेर		अजमेर				
		कार्यक्रमों की संख्या	संभागियों की संख्या	आयोजन दिनांक आई.ए.एस.ई. अजमेर	कार्यक्रम संख्या	संभागियों की संख्या		
कार्यक्रम सलाहकार समिति (प्रथम)	16.07.18	01	45	03.08.18	01	45	02	90
कार्यक्रम सलाहकार समिति (द्वितीय)	17.01.19	01	45	23.01.19	01	45	02	90
शोध बैठक	20.06.18	01	30	20.04.18	01	30	02	60
राज्य/राष्ट्रीय कार्यशाला	17.09.18 से 18.09.18	01	40	24.08.18 से 25.08.18	01	40	02	80
राज्य/राष्ट्रीय कार्यशाला	19.11.18 से 20.11.18	01	40	05.10.18 से 06.10.18	01	40	02	80
आन साइट स्पोर्ट कार्यक्रम	10 विद्यालयों में	10	10	10 विद्यालयों में	10	10	20	20

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र- 2018-19

माह मई 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हट्टण्डी	जामडोली	सरदारशहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
1	सामाजिक विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18	10.5.18 से 19.5.18
2	अंग्रेजी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18
3	संस्कृत	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18	14.5.18 से 23.5.18
4	हिन्दी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18
5	विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18
6	गणित	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18	24.5.18 से 2.6.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19

माह जून, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हट्टण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
7	सामाजिक विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18
8	अंग्रेजी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18
9	संस्कृत	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18	4.6.18 से 13.6.18
10	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18
11	क्रियात्मक अनुसंधान	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18
12	योग एवं शारीरिक शिक्षा	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18	14.6.18 से 18.6.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19

माह जुलाई, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हट्टण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
13	हिन्दी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18
14	विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18
15	गणित	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18	16.7.18 से 25.7.18
16	सामाजिक विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18
17	अंग्रेजी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18
18	संस्कृत	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18	26.7.18 से 4.8.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19													
माह अगस्त, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हटूण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
19	सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18
20	महिला एवं बाल विकास	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18
21	आपदा प्रबंधन	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18	6.8.18 से 10.8.18
22	योग एवं शारीरिक शिक्षा	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18
23	समावेशी शिक्षा	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18	28.8.18 से 1.9.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19													
माह सितम्बर, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हटूण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
24	मूल्य एवं शान्ति शिक्षा	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18
25	लैंगिक संवेदनशीलता	विशिष्ट शिक्षा	व. अ.	5	40	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18	4.9.18 से 8.9.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19													
माह अक्टूबर, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हटूण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
27	विज्ञान	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18
28	गणित	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18	29.10.18 से 07.11.18

सी.टी.ई. में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग (माहवार) सत्र 2018-19

माह नवम्बर, 2018		प्रभाग	स्तर	अवधि दिनों में	संभागियों की संख्या	डबोक	जोधपुर	संगरिया	भुसावर	हट्टण्डी	जामडोली	सरदार शहर	उदयपुर
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम												
26	हिन्दी	शैक्षिक आधार	व. अ.	10	40	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18	12.11.18 से 21.11.18

प्रस्ताव संख्या-1

श्रीमान निदेशक महोदय के आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 को सी.टी.ई. डबोक में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पंचांग कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श के पश्चात विभिन्न आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों में निम्नलिखित कार्यशालाओं के आयोजनों पर सहमति प्रदान की गई -

क्र.सं.	आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थान का नाम	राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	आई.ए.एस.ई. अजमेर	प्रतिदर्श प्रतिचयन (राज्य स्तरीय)	24.08.2018	25.08.2018
2	आई.ए.एस.ई. अजमेर	सर्वेक्षण अनुसंधान (राष्ट्र स्तरीय)	05.10.2018	06.10.2018
3	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	अध्यापक शिक्षण में नवाचार (राज्य स्तरीय)	17.09.2018	18.09.2018
4	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	शाला विकास हेतु क्रियात्मक अनुसंधान (राष्ट्र स्तरीय)	19.11.2018	20.11.2018
5	सी.टी.ई. सरदारशहर	शिक्षक शिक्षा अनुसंधान में वर्तमान चुनौतियाँ एवं समाधान	26.10.2018	27.10.2018
6	सी.टी.ई. संगरिया	शोध प्रारूप निर्माण	21.12.2018	22.12.2018
7	सी.टी.ई. जामडोली	शैक्षिक अनुसंधान के नवीन क्षेत्र	07.12.2018	08.12.2018
8	सी.टी.ई. भुसावर	शोध परिकल्पनाएँ	18.01.2019	19.01.2019
9	सी.टी.ई. हट्टण्डी	शोध आकल्प	12.10.2018	13.10.2018
10	सी.टी.ई. डबोक	प्रायोगिक शोध आकल्प	29.11.2018	30.11.2018
11	सी.टी.ई. जोधपुर	शैक्षिक शोध में सांख्यिकी	26.12.2018	27.12.2018
12	सी.टी.ई. विद्याभवन	अनुसंधान उपकरण निर्माण	31.08.2018	01.09.2018

● संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रस्ताव संख्या-2

श्रीमान निदेशक महोदय के आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 को सी.टी.ई. डबोक में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पंचांग कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श के पश्चात विभिन्न आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों में निम्नलिखित कार्यशालाओं के आयोजनों पर सहमति प्रदान की गई-

क्र.सं.	आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थान का नाम	ऑन साइट सपोर्ट गतिविधियों का विषयवार विवरण	समयावधि
1	आई.ए.एस.ई. अजमेर	अपने केचमेंट एरिया के स्थानीय जिले के विद्यालयों के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक संबंधित सी.टी.ई. तथा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ अध्यापकों/व्याख्याताओं को नियमित रूप से विषय की कक्षा व कालांश में सम्बलन देना। प्रत्येक आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. के केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत कार्यरत फैकल्टी को न्यूनतम प्रत्येक माह में चार कार्य दिवस ऑन-साइट सपोर्ट गतिविधियाँ चयनित विद्यालय में (प्रार्थना सभा से अन्तिम कालांश तक) उपस्थित रह कर सम्पन्न करनी अपेक्षित है।	जुलाई माह से अक्टूबर माह तक (अधिकतम तीन माह के लिए)
2	आई.ए.एस.ई. बीकानेर		
3	सी.टी.ई. सरदारशहर		
4	सी.टी.ई. संगरिया		
5	सी.टी.ई. जामडोली		
6	सी.टी.ई. भुसावर		
7	सी.टी.ई. हट्टण्डी		
8	सी.टी.ई. डबोक		
9	सी.टी.ई. जोधपुर		
10	सी.टी.ई. विद्याभवन		

● संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

प्रस्ताव संख्या-3

श्रीमान निदेशक महोदय के आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 को सी.टी.ई. डबोक में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पंचांग कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श के पश्चात विभिन्न आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों में निम्नानुसार शोध बैठकों के आयोजित करने पर सहमति प्रदान की गई-

क्र.सं.	आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थान का नाम	शोध बैठक तिथि विवरण
1	आई.ए.एस.ई. अजमेर	20.4.2018
2	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	20.6.2018
3	सी.टी.ई. सरदारशहर	शोध बैठकें जून 2018 से पूर्व सम्पादित करेंगे। शोध बैठक की अपनी- अपनी तिथियाँ तत्काल निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
4	सी.टी.ई. संगरिया	
5	सी.टी.ई. जामडोली	
6	सी.टी.ई. भुसावर	
7	सी.टी.ई. हट्टण्डी	
8	सी.टी.ई. डबोक	
9	सी.टी.ई. जोधपुर	
10	सी.टी.ई. विद्याभवन	

नोट- सभी संस्थान प्रस्तावित शोध परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु शोध बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें गाईडलाइन के अनुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें विभागीय प्रतिनिधि अनिवार्य है।

● **संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)**, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

प्रस्ताव संख्या-4

श्रीमान निदेशक महोदय के आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 को सी.टी.ई. डबोक में आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पंचांग कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं सदस्यों के मध्य विचार-विमर्श के पश्चात विभिन्न आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थानों में निम्नानुसार कार्यक्रम सलाहकार समिति की प्रथम व द्वितीय बैठकों के आयोजन पर सहमति प्रदान की गई-

क्र.सं.	आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. संस्थान का नाम	प्रथम पी.ए.सी. बैठक की दिनांक	द्वितीय पी.ए.सी. बैठक की दिनांक
1	आई.ए.एस.ई. अजमेर	03.08.2018	23.01.2019
2	आई.ए.एस.ई. बीकानेर	16.07.2018	17.01.2019
3	सी.टी.ई. सरदारशहर	24.07.2018	18.01.2019
4	सी.टी.ई. संगरिया	26.07.2018	24.01.2019
5	सी.टी.ई. जामडोली	30.07.2018	07.02.2019
6	सी.टी.ई. भुसावर	10.08.2018	08.02.2019
7	सी.टी.ई. हट्टण्डी	02.08.2018	22.01.2019
8	सी.टी.ई. डबोक	20.07.2018	31.01.2019
9	सी.टी.ई. जोधपुर	07.08.2018	02.02.2019
10	सी.टी.ई. विद्याभवन	19.07.2018	01.02.2019

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

4. राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की नीलामी के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: उनि/सशि/ विविध/एफ-502/वो-III/2017-18/41 दिनांक: 20.4.2018 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) ● विषय: राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपयोगी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की नीलामी के संबंध में। ● प्रसंग: वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 6(1) वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 02/04/2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। वितरित निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें सत्रपर्यन्त उपयोग के बाद, सत्रावसान पर प्राप्त कर नए सत्र में विद्यार्थियों को पुनः 50 प्रतिशत वितरित की जाती हैं। प्रायः देखा गया है कि कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा कटी-फटी पुस्तकें भी जमा करवा दी जाती हैं। यह कटी-फटी पुस्तकें अनुपयोगी होने के कारण पुनः पढ़ने योग्य नहीं होती हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन के उपरांत अनेक विद्यालयों में अप्रचलित पाठ्यक्रम की अवितरित नई पुस्तकें भी शेष रह जाती हैं। ये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी विद्यार्थियों हेतु अनुपयोगी हैं। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में अनावश्यक स्थान/कक्ष घेरती हैं।

इन पुरानी जीर्ण-शीर्ण एवं अप्रचलित पाठ्यक्रम की नयी पाठ्यपुस्तकों का निस्तारण करने के लिए GF & AR II के नियम 16 से 27 में नीलामी प्रक्रिया हेतु उक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए दिनांक 30.06.2018 तक संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया प्रासंगिक परिपत्र में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय स्तर पर संपादित की जाए।

GF & AR II के नियम 17 एवं 18 के अनुसार अनुपयोगी/ अप्रचलित घोषित करने के लिए संपूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए एस.आर.-5 एवं 6 में विवरण संधारित करें। नीलामी से प्राप्त राजस्व को विभागीय आय मान कर वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार अभिलेख संधारित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के राजस्व बजट मद में जमा करवाकर इस कार्यालय को दिनांक 07 जुलाई 2018 तक अवगत करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

● संलग्न: उपर्युक्तानुसार (प्रासंगिक पत्र)

● (ब्रह्मदत्त शर्मा) वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान।

● राजस्थान सरकार ● वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) ● क्रमांक: प. 6(1) वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1 जयपुर दिनांक: 02.04.2018 ● परिपत्र ● विषय: अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान।

राजकीय विभागों में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का नियमित निस्तारण किया जाना चाहिए परन्तु कई कार्यालयों में बेशी/अनुपयोगी स्टोर्स का वार्षिक निस्तारण नहीं किए जाने से ऐसी सामग्री कार्यालयों/विभागों में बेकार पड़ी हुई रहती है। 'स्वच्छ कार्यालय' के लिए भी ऐसी सामग्री का त्वरित निस्तारण अपेक्षित है। अतः राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/कंपनियों/बोर्ड्स आदि में अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स के निस्तारण का अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

सभी प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस अवधि में समस्त नाकारा सामग्री/वाहनों आदि का नियमानुसार निस्तारण अवश्य कर दें।

पूर्व में अनुपयोगी स्टोर्स निस्तारण हेतु परिपत्र संख्या 11/2011 दिनांक 24.06.2011 एवं परिपत्र संख्या 7/2014 दिनांक 04.07.2014 द्वारा निर्देश जारी किए जाकर नियमों में शिथिलन प्रदत्त किए गए थे। अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 16 से 27 में प्रक्रिया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-III के भाग-I के आईटम 11 में शक्तियाँ उल्लिखित हैं। नाकारा सामग्री के निस्तारण हेतु गठित की जाने वाली कमेटियों बाबत परिपत्र संख्या 4/2016 दिनांक 22.02.2016 एवं इस हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में परिपत्र संख्या 11/2015 दिनांक 06.08.2015 के माध्यम से संशोधन किए जाकर नियमों को सुगम/सरल बनाया जा चुका है। फिर भी अभियान अवधि के लिए इन नियमों में निम्नानुसार शिथिलन प्रदान किया जाता है।

GF&AR Part-II: Rule 18, Committee for Inspection/Survey:

(ii) in case of article valuing Rs. 10.00 lacs and above the committee for inspection shall consist of a senior Gazetted Officer, Accounts Officer (or above) and a technical officer having knowledge of such articles.

Rule 22: The Committees for disposal shall comprise of:

- The existing words and figures 'Rs 5 lacs' appearing in item A of sub-rule (1) of Rule 22 is relaxed for the words and figures 'Rs 10 lacs'
- The existing words and figures 'Rs 5 lacs' appearing in item B of sub-rule (1) of Rule 22 is relaxed for the words and figures 'Rs 10 lacs'

GF&AR Part-III : (Delegation of Financial Powers) Part-I item 11 (c) Vehicles:

Where the vehicle has not covered the prescribed minimum road kilometers or prescribed minimum years, the norms are now relaxed that if any one of these two norms (minimum kms. and minimum years) is not being fulfilled, the vehicle, may be declared condemned by the Head of Department on the recommendation of the committee on the ground of vehicle being

uneconomical to run.

Head of Department Full Powers on the recommendation of committee:

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

1. वाहनों एवं उनके पार्ट्स आदि को जिलेवार ही नाकारा घोषित करते हुए नियमानुसार जिला स्तर पर ही नीलामी कार्यवाही ही जावे। इस बाबत् सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 22 में दिनांक 22.2.2016 को संशोधन किया जा चुका है।
2. मोटर वाहन नियमानुसार नीलाम करने के पश्चात् Replacement में नया वाहन लेने की अनुमति वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग से नियमानुसार दी जा सकेगी।
3. नियमों में दिनांक 22.02.2016 को हुए संशोधन उपरांत टाइपराइटर्स को भी अन्य सामान के साथ नीलाम किया जा सकता है।
4. इस अभियान की मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने यहाँ पदस्थापित वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी को 'नॉडल ऑफिसर' नियुक्त करेंगे। ऐसे आदेश की प्रति प्रशासनिक विभाग एवं वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भेजी जाएगी।
5. अभियान अवधि में नीलामी से प्राप्त राजस्व की सूचना सभी कार्यालय अपने विभागाध्यक्ष को प्रतिमाह भेजेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष यह सूचना संकलित कर निदेशक, निरीक्षण विभाग को मासिक रूप से प्रेषित करेंगे।
6. निदेशक, निरीक्षण विभाग सभी विभागाध्यक्षों से अभियान अवधि में प्राप्त नीलामी से आय की मासिक सूचना संकलित कर वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भेजेंगे।
7. नीलामी से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त बजट आवंटन कार्यालयों/विभागों के modernisation, furniture, equipments आदि के लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव वित्त (व्यय) विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवाए जाएँ।
8. विभाग के अधीन प्रत्येक कार्यालय में नाकारा सामग्री का निस्तारण इसी अभियान अवधि में हो, वित्तीय सलाहकार (नॉडल ऑफिसर) यह सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अभियान के प्रारंभ में ही वे अधीनस्थ कार्यालयों के संबंधित कार्मिकों की Orientation meeting कर उन्हें नियमों/प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देंगे। नॉडल ऑफिसर का दायित्व होगा कि वे अधीनस्थ कार्यालयों की समस्याओं/शंकाओं का त्वरित समाधान करें और आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करें।
9. सभी जिला कलक्टर जिले के राजस्व/जिलास्तरीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में एक एजेंडा 'नाकारा सामग्री निस्तारण अभियान' बाबत् भी रखेंगे एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बाबत् वे आवश्यकतानुसार जिला कोषाधिकारी का सहयोग ले सकेंगे।
10. विभागाध्यक्षों के यहाँ कार्यरत आंतरिक जाँच दलों एवं निरीक्षण विभाग के जाँच दलों (Audit Parties) का दायित्व होगा कि वे अपनी रिपोर्ट में इस अभियान अवधि में हुई नाकारा सामग्री निस्तारण

एवं प्राप्त राजस्व का विशेष उल्लेख करें।

11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 22 के क्रम में नीलामी समितियों में प्रतिनिधित्व हेतु आग्रह प्राप्त होने पर अविलंब आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विभागीय अधिकारियों को नीलामी नियमों-प्रक्रिया बाबत् कोई समस्या/शंका हो तो उस बाबत् आवश्यक परामर्श वे कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी से भी प्राप्त कर सकते हैं।
12. नाकारा सामग्री निस्तारण संबंधी अद्यतन नियम (साविलेनि भाग-II नियम 16 से 27 एवं साविलेनि भाग-III के भाग-1 के आइटम संख्या 11) एवं संदर्भित परिपत्र आदि वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
13. सभी प्रशासनिक सचिवगण से अनुरोध है कि इस अभियान के सफल संचालन हेतु अपने अधीन विभागों को उचित निर्देश प्रदान करते हुए उसकी प्रति वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भी प्रेषित करावें।

अभियान अवधि 30 जून, 2018 तक रहेगी।

● (मंजू राजपाल), शासन सचिव वित्त (बजट)

5. राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/सी.एस.आर./17-18 दिनांक: 16.03.2018 ● समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) ● विषय: राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में उप-शासन सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-6) विभाग के आदेश क्रमांक पं.17(11) शिक्षा-6/2010/पार्ट दिनांक 13.03.2018 के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश संलग्न के अनुसार जारी किए जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा-निर्देश अनुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उन में पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उनमें पूर्व/नवीन दिशा-निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

● संलग्न: उपर्युक्तानुसार

● (नथमल डिडेल) आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

● राजस्थान सरकार शिक्षा (गुप-6) विभाग ● क्रमांक: पं. 17(11) शिक्षा-6/2010/पार्ट दिनांक : 16.03.2018 ● 1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। 4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा

परिषद्, जयपुर। ● विषय: राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में। ● संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.03.2018

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाईट्स पर अपलोड कराने का श्रम करावें और इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करावें।

● (घनश्याम लाल शर्मा) उप शासन सचिव

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा-निर्देश।

शतहस्त समाहरं सहस्रहस्त संकिर। अथर्ववेद (3/24/5)

(सैंकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से दान करो।)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान् ग्रामणीर प्रमेति।

तमेव मन्ये जानानां यः प्रथमो दक्षिणामाविवायः॥ ऋग्वेद (10/107/105)

(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभकार्य में सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात् प्रमुख) होता है, अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते हैं, वे जन समाज के नृपति माने जाते हैं।)

1. प्रस्तावना

- 1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे- विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण, राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढाँचे का सुदृढीकरण।
- 1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी./कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढाँचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियाँ संचालित करायी जाती हैं। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य कराए जाते हैं।
- 1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किए जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-07-2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प

पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

- 1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किए गए कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं। अतः पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय छात्रावासों को प्रदत्त सहयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-
2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया
 - 2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से
 - 2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते हैं। कार्य का क्रियान्वयन सम्बन्धित दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।
 - 2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से
 - 2.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11.07.2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
 - 2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पाँच श्रेणियाँ हैं:-
 - i. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग।
 - ii. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग।
 - iii. विद्यालय को गोद लेना।
 - iv. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना।
 - v. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना।
 - 2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक- प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11.10.2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। (परिशिष्ट-1)

3. **भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन**
- 3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराए गए विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन परिशिष्ट-2 के अनुसार दिया जावेगा।
4. **भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु मानदण्ड**
- 4.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किए गए योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या-3 पर देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे-
 - i. **प्राथमिक विद्यालय हेतु**- 30 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
 - ii. **उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु**- 60 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
 - iii. **माध्यमिक विद्यालय हेतु** - 150 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
 - iv. **उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु**- 200 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- 4.2 बिन्दु संख्या- 4.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।
- 4.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भामाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप- श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराए जाने पर विद्यालय का नामकरण **श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर** किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।
- 4.4 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।
- 4.5 बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या-3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी।
- 4.6 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्थाप्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एस.डी.एम.सी. से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी।
- 4.7 **नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया**
- 4.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किए गए कार्यों के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय

विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।

- 4.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किए गए कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
 - i. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहाँ कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सी.एस.आर. प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - ii. ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Donate to A School श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सी.एस.आर. प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - iii. वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जाएगा।
 - iv. पोर्टल के माध्यम से Adopt A School श्रेणी के अन्तर्गत गोद लिए जाने पर-
 - अ. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 के अनुसार होने की स्थिति में भी तदनु रूप नामकरण किया जा सकेगा।
 - ब. विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 में प्रावधित राशि से कम होने पर विद्यालय के नाम के साथ तीन वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय तीन वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।
उदाहरण के तौर पर-
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर बीकानेर**
(यह विद्यालय ए.बी.सी. कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)
सत्र 2017-18 से 2019-20 तक दिनांक 01.07.2017 से 01.07.2020
5. **राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन**
 - 5.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किए जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के

- अवसर पर राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।
- 5.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
- 5.3 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुरूप दिए गए योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।
- 6. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन**
- 6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किए जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।
- 6.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुरूप दिए गए योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।
- 6.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा- प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (18) प्र.सु./अनु.3/2016 दिनांक 30-03-2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट-3) कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।
- 6.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।
- 7. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन**
- 7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 'शाला प्रेरक' की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
- 7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।
- 7.3 तीस लाख रुपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।
- 7.4 पाँच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।
- 7.5 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्थाप्रधान को उपलब्ध करवाए जाने पर संस्थाप्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।
- 7.5.1 राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मण्डल उप निदेशक को एवं उप निदेशक, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।
- 7.5.2 जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्थाप्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

परिशिष्ट-2

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराए गए विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	शिक्षा मित्र 5000 रुपये से 25 हजार रुपये	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पट्टिका (भामाशाह बोर्ड) संस्थाप्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	

2	<p>शिक्षा साथी 25 हजार रुपये या अधिक राशि (किसी सम्पूर्ण कार्य अथवा वस्तु विशेष हेतु) या लागत मूल्य कार्य/वस्तु से 1 लाख रुपये तक</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन ● सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो) 	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1 की श्रेणी के अनुसार ● वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/ विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम-3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनमोदित करवाया जाएगा। ● अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। 	<p>कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण इकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय।</p>
3	<p>शिक्षा श्री 1 लाख रुपये से अधिक व 15 लाख रुपये तक</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं. 1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन ● शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन ● प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1 व 2 की श्रेणी के अनुसार ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी। ● ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु- ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। ● विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु ✓ सम्बन्धित संस्थाप्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। 	
4	<p>शिक्षा भूषण 15 लाख रुपये से अधिक व 1 करोड रुपये तक</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन (जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोड़कर) ● ज्ञान संकल्प पोर्टल के 'हॉल ऑफ फेम' पर दानदाता/ भामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना। ● प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार ● सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.मा.शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर 'हॉल ऑफ फेम' में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा। ● ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु- ✓ सी.एस.आर. प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। ● विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु ✓ सम्बन्धित संस्थाप्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, 	

		बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशाषा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।	
5 शिक्षा विभूषण	● क्र.सं.-1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन	● क्र.सं.-1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार	
1 करोड रुपये से अधिक	(जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोड़कर)		
	● ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन	● सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रा.मा.शि.प. जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवाएगा।	

6. नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश।

● कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/क्रमौ./2017-18/प्रवेशोत्सव/प्रथम चरण/18 दिनांक 09.04.18 ● उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (समस्त) ● विषय : नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश। ● प्रसंग : शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018-19/244 दिनांक 06.04.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए शासन सचिव

महोदय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जायेगा-

प्रथम चरण-दिनांक 26.04.18 से 09.05.18 तक

द्वितीय चरण-दिनांक 19.06.18 से 03.07.18 तक

संलग्न दिशा-निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे। ● संलग्न-उपर्युक्तानुसार।

दिशा-निर्देश www.rajssa.nic.in/school/school-Home.aspx पर अपलोड है (शाला दर्शन पोर्टल)

● निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

पञ्चांग

मई 2018					
रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

मई 2018 ● कार्य दिवस-08, रविवार-04, अवकाश-19, उत्सव-01

● 1 मई-नवीन सत्र : 2018-19 प्रारम्भ। 1 से 9 मई-प्रवेशोत्सव-प्रथम चरण का आयोजन। 5 से 8 मई-पूरक परीक्षा का आयोजन। 7 मई-रवीन्द्र नाथ ठाकुर जयन्ती (उत्सव)। 9 मई-पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति-पत्र का वितरण। 10 मई से 18 जून-ग्रीष्मावकाश। नोट :-1. विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्यस्तर पर आयोजन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) 2. संस्थाप्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी.सी. पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करते हुए तथा इसका अनुमोदन सम्बन्धित

जिला शिक्षा अधिकारी से करवाकर अधिकृत किए गए शिक्षक को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी.सी. प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों।

जून 2018					
रवि		3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

जून 2018 ● कार्य दिवस-11, रविवार-04, अवकाश-15, उत्सव-03

● 1 से 18 जून-ग्रीष्मावकाश। 16 जून-ईदुल फितर (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार) 16 जून-महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश उत्सव) 19 जून-1. ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ। 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन एवं सत्रपर्यन्त कार्ययोजना का अनुमोदन। 21 जून-अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (उत्सव) 19 से 30 जून-प्रवेशोत्सव-द्वितीय चरण का आयोजन। 28 जून-भामाशाह जयन्ती (राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह) 30 जून-SDMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना।

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

‘शिक्षक दिवस’ के उपलक्ष्य में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृन्द व सुधी पाठकों से रचनाएँ दिनांक 31 मई, 2018 तक आमंत्रित की जाती हैं। अतः अपने शैक्षिक चिन्तन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ ‘वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर’ के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। साथ ही बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति प्रत्येक रचनानुसार अलग-अलग संलग्न करें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा। -वरिष्ठ संपादक

एक शिक्षा सत्र अवसान होने को है तो एक नया सत्र अवतरित होने को उतावला हो रहा है। विगत को विदाई एवं आगत की अगुवाई के लिए समाज और सरकार या यों कहें कि अभिभावक एवं अध्यापक तैयारी कर रहे हैं। विगत इतिहास के पेटे समा जाएगा तो आगत एक नया इतिहास लिखता नजर आएगा। कल की ही तो बात लग रही है। साल है जनाब। हमने कुछ वादे किए थे, कुछ कार्यक्रम बनाए थे। नए शिक्षा सत्र में करने के लिए। उनमें कितने वादे हम पूरा कर पाए, कितने कार्यक्रमों के साथ न्याय कर सके। हमें कितनी सफलता मिली और कहाँ-कहाँ विफल रहे। पूरी ईमानदारी एवं प्रामाणिकता के साथ इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यह समीक्षा एवं नियोजन (Review and Planing) की बेला है। भूत (विगत) की समीक्षा एवं भविष्य (आगत) के लिए सुविचारित नियोजन। इतिहास में रही कमियों एवं हुई भूलों को जेहन में रखकर भावी सत्र के लिए नियोजन करना चाहिए।

नियोजन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि उसे व्यावहारिक धरातल पर रचते हुए समय-समय पर उसका मूल्यांकन करते हुए अपेक्षित प्रगति एवं वास्तविक गति में उचित तादात्म्य बनाना चाहिए। किसी कार्य को करने से पूर्व कार्य करने के परिमाण (Quantity) एवं उपलब्ध समय सीमा का चरणबद्ध नियोजन करके समय पर क्रियान्विति करने वालों को उचित परिणाम (Result) मिलते हैं। शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षक दैनन्दिनी को लीजिए। जो शिक्षक शिक्षण की वार्षिक/मासिक/साप्ताहिक/दैनिक पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाते तथा अन्य पाठ्येत्तर प्रवृत्तियों का आयोजन करते हैं, उनको सफलता, श्रेय एवं सुनाम मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। विभाग में एक मण्डल के प्रथम शिक्षक (उप निदेशक) एवं 'शिविरा' पत्रिका के सम्पादन के दीर्घ अनुभव में ऐसे अनेक दृष्टांत सामने आए जिनमें उक्त लिखित संदर्भों को सच होते देखा। बात बस मन बनाने और उस पर दृढ़तापूर्वक चलने की है। सफलता राह में आपका इंतजार कर रही है। उस तक पहुँचने के लिए परिश्रम, साधना, स्वाध्याय, समय की पाबन्दी जैसे मार्ग पर चलना होता है। सफलता के लिए कोई

प्रवेशोत्सव

....कि बच्चा स्कूल जा रहा है

□ ओमप्रकाश सारस्वत



पगडण्डी नहीं होती बल्कि वह तो राजमार्ग पर चलने के समान है।

शिक्षा एवं विकास में परस्पर धनात्मक सह सम्बन्ध होता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक पुनरुत्थान का शक्तिशाली माध्यम है। यही कारण है कि सर्वतोमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारें शिक्षा को प्राथमिकतापूर्ण स्थान प्रदान करती हैं।

शिक्षा के समाजोपयोगी महत्त्वपूर्ण कार्य की सफलता सामाजिक सहभागिता एवं सद्भाव में निहित है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदाय आधारित नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु समाज में हर स्तर पर सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। इसे बिन्दुवार यों समझ सकते हैं-

● समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग एवं समन्वय। ● क्रियान्विति के समय प्रत्येक स्तर पर सहयोग। ● पारस्परिक संवाद एवं उचित तालमेल। ● विचारों एवं सुझावों का आदान-प्रदान। ● सतत् समीक्षा-सतत् सुधार।

सामाजिक सहभागिता एवं सद्विश्वास विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाने के संदर्भ में बहुत जरूरी है। वार्षिक बोर्ड एवं गृह परीक्षाओं का दौर समाप्त होकर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद वर्तमान सत्र के अन्तिम पखवाड़े तथा ग्रीष्मावकाश के पश्चात् विद्यालय खुलने पर प्रारम्भिक पखवाड़े में प्रवेश हेतु सघन अभियान 'प्रवेशोत्सव' मनाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में यद्यपि अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यार्थी तीन आवश्यक अंग हैं तथापि इनमें विद्यार्थी सर्वोपरि है। वही सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र की

धुरी है। वही हमारा इष्ट और वही हमारा आराध्य है। स्कूल आने की अवस्था के सभी बच्चे स्कूल आवें, उनका पक्का-पक्का ठहराव सुनिश्चित हो तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम वे प्राप्त करें, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। स्कूल की तरफ कदम बढ़ाता एक छोटा-सा बच्चा किसी सुन्दर सुरभियुक्त उपवन के खिलते फूल की तरह होता है। ऐसे फूल खिलने चाहिए। हमें उनका स्वागत एवं सम्मान करते हुए विद्यालय के प्रति उनकी झिझक दूर करनी चाहिए। स्कूल की तरफ कदम बढ़ाता वह बालक रोशनी का मसीहा है। वह राष्ट्र निर्माता है। विख्यात कवि एवं शायर निदा फाज़ली की कविता के शब्द और भाव पर जरा ध्यान दीजिए।

*हुआ सवेरा जमीं पर फिर आकाश,
अदब से सिर झुका रहा है,
नई फिजां में नया उजाला,
सारी बस्ती सजा रहा है,
कि बच्चा स्कूल जा रहा है।
हवाएँ सरसब्ज डालियों में,
दुआओं के गीत गा रही है
महकती खुशबुओं से फूल,
सोते रास्तों को जगा रहे हैं,
घनेरा पीपल गली के कोने से,
अपना हाथ हिला रहा है,
कि बच्चा स्कूल जा रहा है।।*

विगत 3-4 वर्ष हमारे प्यारे प्रदेश राजस्थान में शिक्षा के संदर्भ में अत्यन्त उल्लेखनीय रहे हैं। देश के शैक्षिक आभा मण्डल में राजस्थान बहुत तेजी से छलांग लगाकर उच्च स्थान पर आ गया है। यह हम सबके लिए हर्ष एवं गर्व की बात है। 'राजस्थान नम्बर वन' हमारा संकल्प होना चाहिए। एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे और स्कूल में नामांकित प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इस पवित्र मिशन भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है और इसी में हमारा हित निहित है। (इति शुभम्)

संयुक्त निदेशक (से.नि.)
विनायक लोक, बाबा रामदेव रोड
गंगाशहर (बीकानेर)-334401
मो: 9414060038

अक्षय पेटिका

विद्यालय विकास में सामुदायिक सहभागिता

□ सीताराम गोदारा

प्र देश के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने व विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अनेक शैक्षणिक उन्नयनकारी योजनान्तर्गत आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों की स्थापना के साथ-साथ विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं जैसे पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा-कक्ष, खेल मैदान, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, चारदीवारी, विज्ञान व कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ आदि की उपलब्धता से शैक्षणिक गुणवत्ता का वातावरण निर्मित हुआ है। इसी का परिणाम है कि जहाँ एक ओर राजकीय विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि एवं परीक्षा परिणामों में भी गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टि से उत्साहजनक सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश ने शैक्षणिक उन्नयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

वर्तमान में विद्यालयों के ढाँचागत विकास व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केवल राजकीय कोष पर ही निर्भरता न रहे, अपितु विद्यालयों के विकास व प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता की संकल्पना को साकार करने वाले अनेक नवाचार भी प्रचलन में हैं, जिनसे न केवल विद्यालय विकास एवं प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ी है बल्कि विद्यालयों का विकास व संसाधनों की प्राप्ति भी जनसहयोग से हुई है। विद्यालय भवन, कक्षा-कक्ष, चारदीवारी का निर्माण, प्याऊ, वाटर कूलर, वाटिका विकसित करना, प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटर आदि अन्य विद्यालयी आवश्यकता वाले संसाधन समुदाय के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। जिनसे विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का आदर्श वातावरण निर्मित हुआ है। समुदाय से बेहतर सहयोग व संवाद स्थापित करने में सहायक हैं-विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास समिति, अभिभावक-शिक्षक परिषद, मातृ-शिक्षक

सम्मेलन, विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, ज्ञान संकल्प पोर्टल, अक्षय-पेटिका आदि। ये सभी सहकार व पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित शैक्षणिक उन्नयनकारी नवाचार हैं जिनसे विद्यालय विकास एवं प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता से उत्कृष्ट वातावरण बना है, क्योंकि विद्यालय भी समाज से सम्बद्ध संस्था हैं और सामाजिक संबद्धता वाले कार्यों में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सामाजिक सरोकारों के अन्तर्गत बेहतर प्रबंधन व नियोजन के सर्वोत्कृष्ट प्रमाण हमें धार्मिक स्थानों, गौशालाओं, मुसाफिरखानों, धर्मशालाओं या अन्य सामाजिक संस्थाओं में दिखाई देते हैं। इन संस्थाओं में रखी गई दान पेटियाँ या दान पात्र समुदाय की भागीदारी, प्रबंधन एवं नियोजन का सुन्दर स्वरूप है उक्त सामाजिक सरोकारों वाले कार्यों में सभी की सहायता व योगदान का स्वरूप गुप्त होने तथा इसमें किसी प्रकार का विभेद न होने से, सभी समाजजनों की सन्तुष्टि समाहित रहती है। अतः सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं में रखी गई दान पेटियाँ तथा समुदाय के बेहतर प्रबंधन व नियोजन से अभिप्रेरित होकर राजकीय विद्यालयों में प्राप्त जनसहयोग को व्यवस्थित रूप प्रदान करने तथा संग्रहण व नियोजन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने अर्थात् राजकीय विद्यालयों में प्राप्त जनसहयोग के समुचित संग्रहण, प्रबंधन एवं नियोजन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने हेतु शिक्षा जगत में एक नवाचार-‘अक्षय पेटिका’ के रूप में किया गया है।

इस शैक्षणिक उन्नयनकारी सोच के मूल में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता की पवित्र भावना समाहित है। चूँकि समय-समय पर विद्यालयों में आयोजित उत्सव-समारोह में समुदाय की ओर से सहायता-प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती रही है, अतः जनसहयोग से प्राप्त राशि के व्यवस्थित संग्रहण एवं उसके समुचित प्रबंधन व नियोजन

की प्रक्रिया के रूप में राजकीय विद्यालयों में ‘अक्षय-पेटिका’ स्थापित की गई है। यह आकार-प्रकार में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में रखे गए दान-पात्र या दान पेटिका की तरह ही होती है जो विद्यालयों में कार्यालय कक्ष के बाहर बरामदे या सरस्वती मंदिर में रखी जाती है। अक्षय पेटिका में दो ताले लगे होते हैं, जिसमें से एक चाबी संस्थाप्रधान व दूसरी चाबी SDMC./SMC. द्वारा मनोनीत समुदाय के किसी व्यक्ति के पास रहती है। अक्षय-पेटिका में विद्यालयों में आने वाला कोई भी व्यक्ति यथा-अभिभावक, समुदाय का सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी, जो अपने द्वारा दी जाने वाली सहायता को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, वह गुप्त दान के रूप में अपनी सहायता राशि इस पेटिका में डाल सकता है। अक्षय पेटिका को SDMC./SMC. की बैठक में खोला जाता है तथा अक्षय पेटिका में एकत्र राशि को विधिवत् रूप से विद्यालय एवं विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है।

‘अक्षय-पेटिका’ प्रत्येक विद्यालय में न केवल जनसहयोग का व्यवस्थित स्वरूप है वरन् इसके प्रबंधन व नियोजन में समुदाय की सहभागिता इसे और अधिक प्रभावी बनाती है। साथ ही राजकीय विद्यालयों को अपनी आवश्यकता मुताबिक छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सरकारी मदद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अक्षय पेटिका में समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति या दानदाता अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकता है, साथ ही दान स्वरूप प्राप्त राशि का व्यय भी समाज की देखरेख में होने से विद्यालय के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि एकत्र राशि का उपयोग समुदाय के ही छात्र-छात्राओं हेतु बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता में होने से उनके मन में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का संचार होता है।

इस सकारात्मक सोच या अभिनव पहल को मूर्त रूप देने के लिए विद्यालयों अर्थात् संस्थाप्रधान व शिक्षकों का समुदाय से संबंध आत्मीय व विश्वासपूर्ण होना आवश्यक है। ऐसे

बहुत से उदाहरण हैं कि जिन विद्यालयों का जुड़ाव समुदाय से विश्वासपूर्ण व आत्मीय है, उनमें न केवल अध्ययन-अध्यापन का आदर्श वातावरण बना है बल्कि समुदाय के सहयोग से विद्यालयों में ढाँचागत विकास व संसाधनों की प्राप्ति भी सहज रूप में हुई है। ऐसे विद्यालयों के समुदाय से प्रगाढ़ संबंध केवल संसाधनों की उपलब्धता में सहयोग तक सीमित न होकर आदर्श शैक्षणिक वातावरण निर्मित में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। जिसका लाभ विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मिला है, वे शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक गतिविधियों में अपना प्रदर्शन उत्कृष्ट कर पाए हैं।

इस नवाचारी पहल- 'अक्षय पेटिका' के व्यापक रूप से समुदाय में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है और इससे भी महती आवश्यकता है, समुदाय से प्रगाढ़ सम्बन्धों की। हमें समुदाय से जुड़ाव के सुअवसर समय-समय पर मिलते रहते हैं, अगर हम इन अवसरों पर सक्रियता दिखाएँ तो समुदाय से हमारे संबंध बड़े ही आत्मीय तथा विश्वासपूर्ण बन सकेंगे। SDMC./SMC. की बैठकें, अभिभावक-शिक्षक परिषद्, मातृ-शिक्षक सम्मेलन, ग्राम पंचायत की बैठकें, विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच, विद्यालय में आयोजित होने वाले उत्सव-समारोह तथा समुदाय में होने वाले कार्यक्रम यथा-विवाह-शादियाँ या अन्य अनुष्ठान/कार्यक्रम जिनमें विद्यालय परिवार को आदरपूर्वक निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि समुदाय की दृष्टि में विद्यालय आस्था का केन्द्र है। विद्यालय तथा समुदाय में आयोजित होने वाले इन सभी कार्यक्रमों में हमारी उदासीनता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन सबसे हमें समुदाय से बेहतर संवाद स्थापित करने का सुअवसर मिलता है जिसका लाभ हम विद्यालय तथा छात्र हित में समुदाय से सहयोग प्राप्त कर उठा सकते हैं। जिससे 'अक्षय पेटिका' के माध्यम से विद्यालयों के विकास व प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का स्वप्न साकार हो सकेगा। इस प्रकार 'अक्षय पेटिका' निश्चित रूप से विद्यालय विकास की अविरोध अक्षय धारा प्रवाहित करने में सक्षम व बहुपयोगी है।

सह सम्पादक (शिविरा)
मा. शि. राजस्थान, बीकानेर
मो: 9413691357

मासिक गीत

अर्पित यह जीवन

सेवा में भारतमाता की, अर्पित यह जीवन...

है अपना, अर्पित यह जीवन

पुण्यधरा पर कर्म तपस्या, खिलते दिव्य-सुमन...

सुगन्धित, खिलते दिव्य सुमन

अर्पित यह जीवन...

काया ही आधार प्रथम है, पूर्ण स्वस्थ और बने सबल
मर्यादित आहार-विहारों, नियमबद्ध व्यायाम अटल
सुन्दर, सक्षम रूप निखारें, करें कठिनतम श्रम
निकालें माटी से कुन्दन 1111

अपनी चाहत अपनी सुविधा, ना कोई इच्छा पालें

सदा रहें कर्तव्य परायण, ऐसा ही दृढ़ मन ढालें

सुख-दुख में ना विचलित होता, साधक ध्येय मगन

निशंकी रहता नित्य प्रसन्न 11211

विवेक जागे 'अहम्' तिरोहित, विराट का ही कर पूजन
समरस भाव हिलोरें लेता, सहज सभी में अपनापन
तेजस्वी संकल्प प्रखर हो, विचरें मुक्त गगन-
सुमंगल नवयुग करें सृजन 11311

हर क्षण अपने परम साध्य का, चिंतन मंथन सतत चले

आलोकित करने जग सारा, तिलतिल दीपक स्वयं जले

जय जय माँ की पुनर्प्रतिष्ठा, जगद्गुरु आसन-

विराजे, युग युग करे नमन 11411

संकलनकर्ता-गोमाराम जीनगर
संपादक (शिविरा),
मा.शि.राज. बीकानेर, मो. 9413658894

रपट

जिला स्तरीय स्कूटी एवं लेपटॉप वितरण समारोह

□ जगदीश प्रसाद शर्मा

मा ननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत स्कूटी एवं लेपटॉप वितरण समारोह दिनांक 5 अप्रैल 2018 को श्री कल्याण राउमावि. सीकर में आयोजित हुआ। मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु समारोह में देवस्थान विभाग राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री, सीकर श्रीमान् राजकुमार रिणवां, जिला प्रमुख श्रीमती अपर्णा रोलन, सीकर विधायक श्रीमान रतन जलधारी, शिक्षा निदेशक श्रीमान नथमल डिडेल, जिला कलक्टर श्री नरेश कुमार ठकराल, शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक चूरी मंडल श्री महेन्द्र सिंह चौधरी ने उपस्थित रह कर अपने कर कमलों से स्कूटी व लेपटॉप वितरण योजना का सीकर जिले में शुभारंभ किया।

समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन व राधाकृष्ण राबाउमावि. की छात्राओं द्वारा वन्दन से हुआ। मंचस्थ विराजमान सम्मानित अतिथियों में मुख्य अतिथि पद पर प्रभारी मंत्री महोदय, अध्यक्ष पद पर शिक्षा निदेशक व उपस्थित विशिष्ट अतिथियों श्रीमान विधायक, जिला प्रमुख, सदस्य बाल संरक्षण आयोग, जिला कलक्टर व समाज सेवियों के साथ-साथ समारोह में उपस्थित शिक्षाविद, गणमान्यजनों, अभिभावकों व विद्यार्थियों का स्वागत जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन व कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार द्वारा देय शिक्षा से संबंधित विविध उपयोगी योजनाओं के साथ-साथ लेपटॉप व स्कूटी वितरण संबंधी योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। राजस्थान में जयपुर के पश्चात् सीकर जिला लेपटॉप व स्कूटी वितरण में प्रथम स्थान पर है। पद्माक्षी पुरस्कार के साथ-साथ आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं को 26 स्कूटी तथा अन्य विद्यार्थियों को 1215 लेपटॉप दिए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी मा. प्रथम द्वारा सीकर जिले में किए जा रहे नवाचारों यथा मिशन मेरिट, शेखावाटी मिशन-100 प्रतिशत परिणाम के साथ प्रारंभ किए गए सखा संगम की उपयोगिता से संबंधित जानकारी भी दी गई। उपस्थित आम जन को राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से सीकर जिले को शैक्षिक पायदानों में प्रदेश स्तर पर अग्रणी रखने को आश्वस्त किया। स्वागत सम्मान में स्वागत गायन राजकीय बाउमावि. बजाज रोड की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।

विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती अपर्णा रोलन ने विद्यार्थियों को कहा कि अध्ययन के साथ-साथ शौकीन रहें। अच्छे शौक पालें। वह शौक आपकी पहचान बनाने के साथ-साथ जीवन जीने का साधन बन सकता है। सीकर विधायक श्रीमान रतन जलधारी ने विद्यार्थियों से श्रेष्ठ अध्ययन करने एवं अध्ययन में आने वाली बाधाओं का डट कर सामना करने एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर समाज के श्रेष्ठ नागरिक बनने का आह्वान किया।

‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान में सीकर जिलाधीश श्रीमान नरेश ठकराल को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से सम्मानित होने पर शिक्षा विभाग सीकर द्वारा अभिनंदन किया गया। प्रभारी मंत्री महोदय, जिला प्रमुख महोदय, विधायक महोदय, मा. शिक्षा निदेशक के साथ-साथ चूरी मंडल शिक्षा उपनिदेशक को जिला शिक्षा अधिकारी मा. प्र. सीकर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अजिंश.अ. श्री पवन कुमार शर्मा, शै.प्र.अ. श्री प्रमोद शर्मा, जिंश.अ. प्रा. श्री लक्ष्मीनारायण बाडीवाल ने साफा शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न प्रदत्त किए।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में जिलाधीश महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान को सीकर की जनता को समर्पित करते हुए जिले में शैक्षिक स्तर पर हो रहे कार्यों की सराहना की। बेटियों के नामांकन को बढ़ाने हेतु 4 ब्लॉक में स्थित समस्त विद्यालयों में पृथक-पृथक शौचालय सुविधापूर्ण होने की जानकारी दी। जो आपकी व्यक्तिगत रुचि से विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा निर्मित हुए हैं।

मुख्य अतिथि श्री रिणवा ने अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करते हुए कहा कि शिक्षा को रोजगार के साथ-साथ इन्सानियत के लिए होना जरूरी है। हमें सामाजिक कुरीतियों व गलत परम्पराओं, जात-पाँत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावों की ओर बढ़ना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक-दूसरे की सहायता के लिए मानव बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेधावी बेटे-बेटियों को विशिष्ट सुविधाएँ दी हैं जिनमें लेपटॉप, स्कूटी व विदेश में अध्ययन की योजनाएँ विशिष्ट हैं। उनका लाभ लेकर और आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्षीय उद्बोधन में शिक्षा निदेशक श्री नथमल डिडेल ने राजस्थान में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही आपने कहा कि प्रवेशोत्सव पर सरकारी योजनाओं को अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर नामांकन में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षा से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रह कर शिक्षक समाज का गौरव हासिल करें। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के लाभ के लिए प्रेरित कर उन्हें अध्ययन की ओर उन्मुख करें जिससे राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अक्वल रहे। सीकर जिले में आयोजित शैक्षिक नवाचारों, मिशन शेखावाटी 100 व मिशन मेरिट कार्यक्रमों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री कल्याण राउमावि., बालिका बजाज रोड राउमावि., सीकर एवं राधाकृष्ण राबाउमावि., सीकर की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। समारोह में अजिंश.अ. (शै.प्र.) सीकर श्री पवन कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। गरिमायम कार्यक्रम का संचालन डॉ. चन्द्र प्रकाश महर्षि (व्याख्याता) द्वारा किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम, सीकर
मो: 9928169008



पुरस्कृत समीक्षा

अच्छे दिन तंज के

व्यंग्यकार : यश गोयल प्रकाशक : बोधि प्रकाशन,
जयपुर संस्करण : 2017 पृष्ठ : 152
मूल्य : ₹ 150

किसी भी व्यंग्यकार के लिए तंज को पैना बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि कोई चिकित्सक मस्तिष्क का ऑपरेशन करते समय अपनी अंतःदृष्टि खोल करके रखता है। यश गोयल की हालिया व्यंग्य कृति 'अच्छे दिन तंज के' आज की राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों पर जिस तरह से तंज कसता है वह बताता है कि अच्छे दिन अब तंज के भी आ रहे हैं। दरअसल व्यंग्य विधा में आज लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन 'पोस्टकार्ड को ही तार समझना' की प्रक्रिया में लिखने वाले कम है।



व्यंग्य सही अर्थों में तभी व्यंग्य होता है जब वह अपनी बात कहते हुए मुद्दे के मर्म पर चोट करे। इस नज़रिए से देखें तो यश गोयल का नवीनतम संग्रह 'अच्छे दिन तंज के' उन सभी तंजकारों के व्यंग्यों को पैना बनाने में अपना सहयोग करते हैं जो समाज की समस्याओं से परेशान-हैरान हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी जब विज्ञान की बात करता है उसे सामान्य तौर पर लिया जाता है, जब वह हिन्दी विधा में कुछ ऐसा लिखता है जिससे समाज की विसंगतियों पर प्रहार हो तो उसे मारक माना जाता है। यदि दो दशक पुरानी बात याद करें तो डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी की 'नरक यात्रा' नाम से जो व्यंग्य कृति आई थी, उसके बाद एक विज्ञान के विद्यार्थी की हिन्दी में यह कृति है। यश अपने इस संग्रह के आरंभ में ही खुलासा करते हैं कि अच्छे दिन नहीं लौटते, अच्छे दिन जीवन में आते भी हैं या नहीं? कोई ला भी पाता है किसी और के लिए अच्छे दिन? इस वाक्य को पढ़ते हुए जब इसके पन्ने पलटते हैं तो पहली मुठभेड़ होती है, 'स्याही तेरे रंग अनेक से।' यहाँ स्याही की महिमा का वर्णन है और नेताओं तथा बचपन को जिस रूप में उभारा गया है, वह दूसरे व्यंग्य 'गाय आधार कार्ड' पर

जाकर अपना विस्तार पाता है। इसका एक अंश है-जब हर गाय हमारी माता है तो क्यों न हर गाय को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। इस अंश का मंतव्य समझें तो जो लोग गाय को माता के नाम पर खेल रहे हैं वह जरा आँखें खोल कर देख लें कि गाय किन हालातों से गुजर कर अपना जीवन जी रही है और हम हैं कि गाय हमारी माता है के ध्येय वाक्य से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे? क्यों, यह समझाने के लिए यश का यह संग्रह हर सफे पर अपनी रंगत छोड़ता है। वह बताता है कि अब व्यंग्यकार कम नहीं है और 24 घंटे के समाचारों में तंज तलाशना है तो इस संग्रह की रोचकता की निष्ठा अपने परिपूर्ण रंग में सतरंगी हो उठती है।

यहाँ पर याद आते हैं शरद जोशी और प्रभाष जोशी। यह कहा जा सकता है कि दोनों की फील्ड अलग थी, लेकिन क्या दोनों ने जिस विधा में लिखा है उसमें जो पैनापन था वह आज के व्यंग्य में बचा है? पूरन सरमा का यह कहना कि 'कटाक्ष की सार्थक पहिचान' को यह संग्रह और अधिक सघनता से उभार सका है। यदि इसे सत्यता की कसौटी पर तौलना हो तो रूठने की कला, जेब खर्ची, श्रेष्ठ साहित्य का पट्टा, फाइलों की होलिका और सस्ता करने के नुस्खे पढ़ डाले जाएँ। सस्ता करने के नुस्खे तो पढ़ते-पढ़ते मन में एक भाव यह उभरता है कि यदि सस्ता करने के यही तरीके हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं?

यश के व्यंग्य में विविधता, पठनीयता, मिमिक्री और पूर्णता है तो भाषा की विविधता और शब्दों का तीखापन भी। कहने के लिए यह व्यंग्य संग्रह है पर हर कथा का रूप किसी भी प्रकार से एक विसंगति और संस्कार का प्रतिबिंब है। ऐसे इन व्यंग्यों को कथा कहना एक प्रश्न खड़ा कर सकता है। जो कथा को कहानी समझते हैं उनके लिए इसे समझना इसलिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक कोई बात पूरी शिद्दत से नहीं की जाए तब तक वह चाहे कहानी हो या व्यंग्य, अपनी बात समाज के सामने नहीं ला पाता। सीधा-सीधा कहें तो 'अच्छे दिन तंज के' एक उम्दा कृति है और आज के उन विद्यार्थियों के लिए एक पैमाना है जो भविष्य में व्यंग्यकार बनकर कटाक्ष की दुनिया में पदार्पण करना चाहते हैं। 151 व्यंग्यों की इस कृति में 'डिजिटल कर्फ्यू' पढ़ने के बाद जब इस संग्रह को उठाकर रखने की बात होगी तो मेरे विचार से यह संग्रहणीय होगा। हाँ, एक बार खरीदकर पढ़ने से जरूर ही भविष्य में व्यंग्यकारों के अच्छे दिन आ सकते हैं यह समझना महत्वपूर्ण है। हम यह पुस्तक क्यों पढ़ें? क्योंकि दुनिया बदल रही है, ग्लोबल हो रही है और हमारी लिखने की शैली भी बदल रही

हैं इसलिए 'अच्छे दिन तंज के' पढ़ने से पता चलता है कि अब नहीं तो कब हम समाज में बदलाव के लिए अपनी भूमिका निभाएँगे।

समीक्षक: मनोज प्रकाश वाष्णोय

397, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर,
धौलाई, जयपुर, राजस्थान -302020

मो: 8769085380

समाजद्रष्टा साहित्यकार : रत्नकुमार सांभरिया

सम्पादन : डॉ. राकेश रामपुरिया, प्रणु शुक्ला
प्रकाशक : दृष्टि प्रकाशन, 53/17, प्रताप
नगर, सांगानेर जयपुर-302033 संस्करण : 2016
पृष्ठ : 196 मूल्य : ₹ 100

रत्नकुमार सांभरिया दलित साहित्य के अग्रणी हस्ताक्षर है। उन्होंने विविध विधाओं-कहानी, नाटक, एकांकी, लघुकथा, समीक्षा के क्षेत्र में विपुल साहित्य सृजन किया है। उनकी पष्टिपूर्ति के अवसर पर प्रकाशित 'समाजद्रष्टा साहित्यकार : रत्नकुमार सांभरिया' पुस्तक 31 महत्वपूर्ण लेखों के माध्यम से उनके विस्तृत सृजन-संसार की एक मुकम्मल झाँकी प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करती है, जिसे उनकी सृजनात्मक मेधा का आकलन भी कहा जा सकता है।



पुस्तक के अंत में 'शब्द बदलते युग' शीर्षक से लेखक का आत्मकथ्य भी है। यहाँ सांभरिया जी ने कुछ मार्मिक निजी प्रसंगों के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा के उतार-चढ़ावों को हमारे सामने रखा है। उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो यह कि 'मेरी कहानियों का मुख्य ध्येय दलित और सर्वहारा वर्ग के पात्रों के संघर्ष के माध्यम से हक की लड़ाई जीतना है। इन्हीं पात्रों को नायकत्व प्रदान करना है। गरीब का रिरियाना, गिड़गिड़ाना, कुटना-पिटना, ठुकना, अस्मिता का लुट जाना मेरी कहानियों के पात्रों को गवारा नहीं हैं। मेरी कहानियों के पात्रों की प्रवृत्ति पीपल की तरह होती है। पीपल का छोटा-सा एक बीज पत्थर को फाड़ कर भी उग जाता है और अपना आकार लेता जाता है' और दूसरी बात यह कि 'मेरी अधिकांश कहानियों के कथ्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। जो गंवई संस्कार और भाषा

की गंध मेरी शिराओं में लहू की तरह है, उसे मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। रहता शहर में हूँ, लिखता गाँव हूँ। मुझे लगता है यह बोध, यह ईमानदारी और यह जिद्द ही है, जो सांभरिया जी के सृजन को औरों के सृजन से अलग करती और स्थापित करती है।

किताब में ज्ञानरंजन, भगवान अटलानी, डॉ. किशोरीलाल रैगर, डॉ. केदार प्रसाद मीणा, विजय, डॉ. बजरंगबिहारी तिवारी, प्रो. शिवताज सिंह, रमेश खत्री, मूलचंद सोनकर, डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे और प्रेमचंद गाँधी जैसे सुपरिचित लेखकों के अलावा भी अनेक विद्वत्जन के लेख संकलित हैं। हर लेख सांभरिया जी के सृजन की कोई न कोई खासियत उभारता है। सांभरिया की कहानियाँ एवं नाटक विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और लगभग तीन दर्जन शोधार्थी उनके साहित्य पर शोध कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पुस्तक सांभरिया जी की रचनाशीलता की तरफ और अधिक विशाल पाठक समुदाय को आकर्षित करने में सफल रहेगी।

समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

ई-2/211, चित्रकूट, जयपुर-302021


मो: 9829532504

दादी मा री लाडली

लेखक : मदन गोपाल लढा प्रकाशक : विकास प्रकाशन, बीकानेर संस्करण : 2017 पृष्ठ : 48 मूल्य : ₹ 50.00

बच्चे प्रकृति से ही सहज, सरल, निश्छल, निर्मल एवं स्वतंत्र होते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं होता। कोई छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब नहीं होता। वे किसी प्रकार का भेद नहीं रखते। शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का ही रूप माना जाता है। बच्चों के लिए लिखना अपने आप को एक बहुत बड़ा सुकून, आत्मसंतोष देना है।

भारतीय साहित्य परम्परा में बाल साहित्य के सृजन का कार्य प्राचीन काल से ही अनवरत रहा है। 'पंचतंत्र', 'हितोपदेश', 'कथा सरित्सार', 'सिंहासन बत्तीसी' आदि कथा कृतियाँ न केवल बालकों को बल्कि प्रत्येक साहित्यानुरागी को अपनी ओर आज भी आकृष्ट करती है, भले ही



वह किसी भी वय का हो। बाल साहित्य के सृजन का हेतु बालकों के मनोरंजन के साथ-साथ उनको संस्कारक्षम बनाना भी है। बालक के समाजीकरण, चरित्र निर्माण एवं उसके मानसिक व बौद्धिक विकास में बाल साहित्य की अहम भूमिका रही है।

पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा लिखते हैं-

**यन्वे भाजने लगनः संस्कारो नान्यथा भवेत्।
कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदीह कथ्यते।।**

अर्थात् जिस प्रकार किसी नवीन पात्र के कोई संस्कार नहीं रहते, उसी प्रकार बच्चों की स्थिति होती है। इसलिए उन्हें तो कथा आदि के द्वारा ही नीति के संस्कार बताना चाहिए।

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पाश्चात्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिक बाल साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ।

बाल साहित्य के लेखन का प्रारम्भ हिन्दी व बांग्ला से होता हुआ शनैः शनैः अन्य भारतीय भाषाओं में भी स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया गया।

राजस्थानी साहित्य परम्परा में बाल साहित्य का लेखन स्वतंत्रता के पश्चात कुछ विलम्ब से ही प्रारम्भ हुआ। राजस्थानी बाल साहित्य के प्रारम्भिक सृजकों में कुंअर चन्द्रसिंह बिरकाळी, रानी लक्ष्मी कु. चूड़ावत, विजयदान देथा, डॉ. मनोहर शर्मा, नानूराम संस्कर्ता, जयंत निर्वाण, बी.एल. माली 'अशांत', मोहन मंडेला आदि सृजन धर्मियों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

वर्तमान में राजस्थानी बाल कथा के सृजन को अनेक साहित्यकारों ने आगे बढ़ाया है, इनमें मदन गोपाल लढा का प्रयास भी सराहनीय है। 'दादीमा री लाडली' इनका दूसरा बाल कथा संग्रह है। विकास प्रकाशन, बीकानेर से प्रकाशित इस बाल कथा संग्रह में नन्हे-मुन्नों हेतु ग्यारह कहानियाँ संकलित हैं। संग्रह की अधिकांश कहानियाँ विद्यालय एवं विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बालवय का सीधा सम्बन्ध शिक्षा, शिक्षक, शिक्षालय एवं शिक्षार्थियों से होता है साथ ही डॉ. मदन गोपाल लढा स्वयं प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों के बीच में ही रहते हैं।

इस कथा संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें कोई न कोई सकारात्मक संदेश भी देती है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 'छतरी सो आभो' कहानी की पात्र गुंजल व नेहल गाँव से शहर आकर पढ़ाई करती है। बोर्ड की परीक्षा के साथ

प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अव्वल रहते हुए यह सिद्ध कर देती है कि लगन और आत्मविश्वास हो तो गाँव की बच्चियाँ भी किसी से पीछे नहीं हैं।

इस कथा संग्रह में शिक्षा के क्षेत्र में चल रही सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की भी बाल पाठकों को स्वतः ही जानकारी मिलती है। 'मैणत रो फल' की नीति ने कलावती मैडम के मार्गदर्शन में अध्ययन कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और मन वांछित लैपटॉप प्राप्त कर ही लिया जो उसके पापा अपनी तंग हालात के कारण उसे नहीं दिला सकते थे। इसी प्रकार कहानी 'सांचो संकळप' शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का ज्ञान कराती है। कहानी 'रमता कान्ह गवाळ' बालकों को सुस्वास्थ्य की सीख देती है। आजकल विद्यार्थी अध्ययन के पीछे स्वास्थ्य को भी भूल जाते हैं। डॉक्टर साब का कथन बच्चों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है 'पैलो सुख हुवै निरोगी काया'।

कहाणियाँ 'सांचो सबक' अर 'कोई काम छोटा कोनी' ईमानदारी और मेहनत के प्रति निष्ठा जगाती है। कहानी 'भूल सुधार' चाइनीज धागों से होने वाले पक्षियों के नुकसान को इंगित करती हुई जीव-जगत के प्रति संवेदना जाग्रत करती है। शीर्षक कथा 'दादी मां री लाडली' नन्ही बालिका गोमती की सूझबूझ हिम्मत और समझदारी को दर्शाती है। अपने पापा की अनुपस्थिति में दादी माँ के अचानक बीमार होने पर गोमती ने हिम्मत नहीं हारी और '108 सरकारी एम्बूलेस' की सहायता से दादी मा को अस्पताल पहुँचा कर मौत के मुँह से निकाल लिया। नन्ही गोमती के इस साहसिक कार्य की न केवल मम्मी-पापा ने बल्कि पूरे गाँव वालों ने प्रशंसा की।

संग्रह की सभी कहानियाँ रोचक व शिक्षाप्रद है तथा बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। कहानियों की भाषा सहज-सरल व बालोपयोगी है। कहीं-कहीं प्रूफ की अशुद्धि किरकिराहट पैदा करती है जैसे सागड़दी की जगह 'सागदड़ी' का प्रयोग। मातृभाषा राजस्थानी के पाठकों को यह कृति अनूठा उपहार है। राजस्थानी में एक अच्छे बाल कथा संग्रह के लिए लेखक एवं प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं।

समीक्षक : डॉ. शिवराज भारतीय

मालियों का मोहल्ला, नोहर

(हनुमानगढ़)-335523

मो: 9414875281

हनुमानगढ़

रा.आदर्श उ.मा.वि., पटवा, तह. भादरा को श्री छत्रसिंह (व.अ.) ने अपनी सेवानिवृत्ति पर 11 मेजें एवं 11 स्टूल सप्रेम भेंट। संस्थाप्रधान श्री वीर सिंह ने सेवानिवृत्ति पर इस विद्यालय को फर्नीचर भेंट किया जिसकी लागत 15,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. जसाना, तह. नोहर में श्री हेतराम मूण्ड से.नि. अध्यापक द्वारा अपनी स्व. माताजी की स्मृति में विद्यालय में कक्षा-कक्ष मय बरामदा का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 3,50,000 रुपये। रा.आ.उ.मा.वि. रामपुरा, तह. पीलीबंगा को श्री जगतपाल सहारण (अध्यापक) से 10,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्रीमती सुमन वधवा (व.अ.) से 6,100 रुपये नकद प्राप्त हुए, सर्वश्री अश्विनी कुमार शर्मा (प्रधानाचार्य), डॉ. वीनूबाला बिश्नोई (असि. प्रोफेसर), दिनेश कुमार मूण्ड (व.अ.), विकास कुमार (व.अ.) प्रत्येक से 5,100-5,100 रुपये नकद प्राप्त हुए, श्री भगवान सिंह (पूर्व संयुक्त निदेशक CSF) से 2,500 रुपये नकद प्राप्त हुए, सर्वश्री रजनीश कुमार गोदारा (प्रधानाचार्य), राकेश कुमार (व्याख्याता), सुभाष चन्द्र सोनी (व्याख्याता), लोकेश कुमार सहारण (व्याख्याता), उपसेन सिहाग (व्याख्याता), डॉ. लक्ष्मीनारायण बेनिवाल (व्याख्याता), सोनू शर्मा (व्याख्याता), पवन राजपुरोहित (व्याख्याता), रविन्द्र कुमार शर्मा (टेकेदार), गोपीराम गोदारा (ग्रामोत्थान स्कूल, सूरतगढ़), पवन कुमार (U.D.C.), राजेन्द्र कुमार सैन (अध्यापक), श्रीमती मुक्ता यादव (व्याख्याता), श्रीमती प्रियंका शर्मा (व.अ.), श्रीमती नीतूरानी (व.अ.), श्रीमती परतजीत कौर (व.अ.), कक्षा 10 के विद्यार्थी (सत्र 2016-17), श्री फूलचंद (पीटीआई.), श्रीमती सुनीता शर्मा (अध्यापिका), श्रीमती सन्जू उपाध्याय (अध्यापिका), श्रीमती सुमन विश्नोई (अध्यापिका) प्रत्येक से 2,100-2,100 रुपये नकद प्राप्त हुए, सर्वश्री रामगोपाल सहारण (अध्यापक), श्रीमती सोनू रानी (व्याख्याता), श्रीमती प्रवीण चहूड़ा (अध्यापिका), श्रीमती सोनकमल सोनी (व.अ.), श्री गुरप्रीत कौर (अध्यापिका), श्रीमती मन्जू बवेजा (प्रधानाध्यापिका), श्री केवल कृष्ण सेतिया (प्र.अ.), श्री सुलेन्द्र कुमार (P.T.I.), श्री शिवप्रकाश (व.अ.), श्री शिवप्रकाश कासनिया (व.अ.), श्रीमती चन्द्रकला बिश्नोई (व.अ.), श्री बलराम (व.अ.), श्री ओमप्रकाश (व.अ.) प्रत्येक से 1,100-1,100 रुपये नकद, श्री हरिसिंह सुथार से 1,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री प्रेमराज जाखड़ (प्रधान पं.स. पीलीबंगा) व श्री प्रताप सिंह सिधू से 2,100-2,100 रुपये नकद प्राप्त, कक्षा 12 के विद्यार्थी राउमावि., रामपुरा द्वारा एक स्पीकर सैट जिसकी लागत 4,950 रुपये और एक माईक जिसकी लागत 960 रुपये, श्री केशव विद्यापीठ उ.मा.वि., पीलीबंगा द्वारा 04 ऑफिस कुर्सी जिसकी लागत 8,000 रुपये, श्री हरजिन्द्र सिंह

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। -व. संपादक

(अध्यापक) से एक म्यूजिक सिस्टम आहूजा जिसकी लागत 11,110 रुपये और एक स्पीकर सैट जिसकी लागत 4,950 रुपये और 1,100 रुपये नकद, श्रीमती संतोष सहारण से प्लास्टिक पट्टी जिसकी लागत 5,500 रुपये, मिट्टी भर्ती जिसकी लागत 13,000 रुपये, पानी की टंकी व पानी फिटिंग सामान जिसकी लागत 12,000 रुपये और नकद 1,100 रुपये। रा.आ.मा.वि. अलायला को समाजसेवी भामाशाह श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पर्व कुमार सोनी द्वारा सभी 96 बालकों को जूता-जुराब व गर्म स्वेटर भेंट जिसकी लागत 60,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. सतीपुरा को श्री तस्सेम बंसल द्वारा विद्यालय में सबमर्सिबल पम्प लगाने हेतु 30,000 रुपये दान दिए गए।

अजमेर

रा.आ.उ.मा.वि. सान्दोलियां, पं.स. अराई को श्री रमेश चांगल से एक वाटर कूलर विद्यालय को

हमारे भामाशाह

सप्रेम भेंट जिसकी लागत 25,300 रुपये मात्र। रा.आ.उ.मा.वि. हिंगोनिया में स्थानीय विद्यालय के शिक्षकगण व विद्यार्थियों के सहयोग से 71,000 रुपये की लागत से माँ सरस्वती के विशाल व भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। रा.उ.मा.वि. देवलिया कलां, तह. भिनाय को श्रीमती निर्मला कंवर राठौड़ से 5,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री गिरिराज सिंह यादव (पं. स. सदस्य) से 03 पंखे लागत 3,900 रुपये, श्री अशोक नरुका (से.नि. डी.आई.जी.) से एक कम्प्यूटर जिसकी लागत 28,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. कायड़ पं.स. श्रीनगर को हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड कायड़ द्वारा 1,60,000 रुपये की लागत से 200 सैट फर्नीचर व 1,00,000 रुपये की लागत से क्रिकेट खेल सामग्री विद्यालय को सप्रेम भेंट।

अलवर

रा.आ.उ.मा.वि., बड़ौदाकान (कठूमर) को श्रीमती गोमती देवी से लोहे के स्टूल मेज 50 सैट जिसकी लागत 53,248 रुपये, श्री लाल सिंह (व.अ.) से प्लास्टिक कुर्सियाँ 10 प्राप्त जिसकी लागत 6,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. क्यारा (थानागाजी) को श्री दिनेश कुमार मीणा (व.अ.) से एक प्रिन्टर (HP श्री इन वन) जिसकी लागत 14,000 रुपये, श्री मूलचंद धोबी से 5 कुर्सियाँ, श्री रामलाल मीणा से 2 कुर्सियाँ प्राप्त

हुई। रा.उ.मा.वि. चांदपुर (मुण्डावर) को श्री रघुवीर सिंह यादव (कैप्टन) से एक वाटर कूलर मय फीटिंग जिसकी लागत 35,000 रुपये, श्री सिंधाराम यादव (अमीन) से एक इन्वर्टर मय बैटरी जिसकी लागत 20,000 रुपये, श्री रोहिताश यादव (व.अ.) से एक सिलिंग पंखा जिसकी लागत 1,250 रुपये, जनसहयोग से शाला की पुताई जिसकी लागत 75,000 रुपये, श्री रमेश चन्द यादव (प्रधानाचार्य) से लोहे की 10 टेबल-स्टूल सैट जिसकी लागत 10,000 रुपये, सर्वश्री प्रकाश चन्द (प्राध्यापक), ओमवीर सिंह (प्राध्यापक), सुबेसिंह यादव, गुलाब सिंह यादव, रघुवीर सिंह जाँगड़ प्रत्येक से 5 सैट लोहे की टेबल स्टूल प्राप्त जिसकी लागत 5,000-5,000 रुपये, बाबूलाल प्रजापत से 2 लोहे की टेबल स्टूल सैट प्राप्त जिसकी लागत 2,000 रुपये, विजय सिंह शर्मा से 02 लोहे की टेबल-स्टूल सैट जिसकी लागत 2,000 रुपये, श्री सुरेन्द्र सिंह यादव से 05 लोहे की टेबल-स्टूल सैट प्राप्त जिसकी लागत 5,000 रुपये, जनसहयोग से 13 लोहे की टेबल-स्टूल सैट प्राप्त जिसकी लागत 13,000 रुपये। रा.उ.मा.वि. बहरोड़ में श्री किशनलाल अग्रवाल द्वारा दरवाजा लगाई व मजदूरी भुगतान 11,000 रुपये, श्री बलवन्त सिंह (बली काका) से 10 सिलिंग फैन लागत 10,920 रुपये, श्री नारायणी देवी से एक बैटरी लागत 14,200 रुपये, श्री सुदेश गोयल द्वारा अनाज भण्डारण हेतु टंकी जिसकी लागत 2,150 रुपये, श्री राकेश यादव से अनाज भण्डारण हेतु एक टंकी प्राप्त जिसकी लागत 2,100 रुपये, श्री सत्यनारायण अग्रवाल से 24 रोशन दान मय मजदूरी भुगतान 11,000 रुपये, यूनिट कैरियर शिक्षण संस्थान बहरोड़ से एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 5,954 रुपये। रा.आ.उ.मा. वि. शाहजहाँपुर बहरोड़ में विश्व की प्रसिद्ध दो पहिया वाहन निर्माता कम्पनी हीरो मोटो कोर्प लिमिटेड द्वारा विद्यालय भवन एवं परिसर का नवीनीकरण व सौन्दर्यकरण एवं बॉस्केट बाल मैदान का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 65,00,000/- रुपये। (पैंसठ लाख रुपये)। रा.आ.उ.मा.वि. नांगलिया बहरोड़ को श्री जयदयाल द्वारा 03 झूले जिसकी लागत 28,000 रुपये, सन्तोष चरीटेबल ट्रस्ट जखराना से बैठने की बैंच प्राप्त जिसकी लागत 15,000 रुपये, श्री यादराम हवलदार से दरी पट्टी प्राप्त जिसकी लागत 11,000 रुपये, श्री लीलाराम पटवारी से एक अलमारी प्राप्त जिसकी लागत 10,000 रुपये। रा.मा.वि. लाठकी (कठूमर) को भूतपूर्व सरपंच श्री तूहीराम चौधरी से 12 प्लास्टिक की कुर्सियाँ प्राप्त हुई जिसकी लागत 6,000 रुपये तथा वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बसेठ श्री रविन्द्र सिंह द्वारा 3 फर्श (12×15) निर्माण की अनुमानित कीमत 3,000 रुपये दान स्वरूप भेंट।

श्रेष्ठ अगले अंक में संकलन- प्रकाशन सहायक



राजकीय चौपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाशहर (बीकानेर) के संयोजकत्व में आयोजित संस्थाप्रधान मिलन व सम्मान समारोह- 2018 के अवसर पर उपस्थित संस्थाप्रधानों को सम्बोधित एवं सम्मानित करते हुए श्रीमान नथमल डिडेल निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान एवं उपस्थित अतिथिगण श्री प्रदीप चौपड़ा प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी, श्री महावीर सिंह पूनिया उपनिदेशक (मा.शि.) बीकानेर मंडल, श्री दयाशंकर अरड़ावतिया जिशिअ. (मा.शि.) बीकानेर, श्री सुनील बोड़ा अति. जिशिअ (मा.शि.) बीकानेर तथा श्री मोहरसिंह यादव कार्यक्रम संयोजक एवं प्रधानाचार्य राजकीय चौपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाशहर, बीकानेर ।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छायाणा, रामदेवरा, जैसलमेर में आयोजित वार्षिकोत्सव एवं आशीर्वाद समारोह में छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते हुए मुख्यअतिथि श्री कमलकिशोर व्यास अति. जिशिअ. (मा.शि.) जैसलमेर, विशिष्ट अतिथि श्री सुमेरसिंह परिहार एवं प्रधानाचार्य श्री ओमनाथ सिद्ध तथा भामाशाह श्री सुमेरसिंह परिहार द्वारा विद्यालय को भेंट सीसीटीवी. कैमरा व ऑडियो सिस्टम का लोकार्पण करते हुए अतिथि एवं अभिभावकगण ।



सीकर स्थित श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय मेधावी छात्राओं को स्कूटी व छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित एवं सम्बोधित करते हुए श्रीमान राजकुमार रिणवा माननीय राज्यमंत्री देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार एवं जिला प्रभारी मंत्री सीकर, श्रीमती अपर्णा रोलण जिला प्रमुख सीकर, श्री रतन जलधारी विधायक सीकर, श्री नथमल डिडेल निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, श्री नरेश कुमार ठकराल जिला कलेक्टर सीकर, श्री महेन्द्रसिंह चौधरी उपनिदेशक मा.शि. चूरू मंडल, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जिशिअ. मा.शि. प्रथम सीकर एवं श्री लक्ष्मीनारायण बाडीवाल जिशिअ. प्रा.शि. सीकर ।



बीकानेर स्थित वेटेरनरी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय लैपटॉप व स्कूटी वितरण समारोह (सत्र-2016-17) में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित एवं सम्बोधित करते हुए श्री नथमल डिडेल निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, मुख्यअतिथि सुश्री सिद्धी कुमारी विधायक (बीकानेर पूर्व), विशिष्ट अतिथि श्री महावीर सिंह पूनिया उपनिदेशक (मा.शि.) बीकानेर मंडल, श्री दयाशंकर अरड़ावतिया जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) बीकानेर, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य शहर अध्यक्ष भाजपा., श्रीमती पद्मा टिलवानी कार्यक्रम संयोजक व प्रधानाचार्य राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर एवं श्री सुनील बोड़ा अति. जिशिअ. (मा.शि.) बीकानेर ।